अध्याय- I

परिचय

1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के प्रशासन, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने आदि के अलावा पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया है ।

सड़क नेटवर्क

1.2 भारत का सड़क नेटवर्क 42.36 लाख कि.मी. है जो विशालतम सड़क नेटवर्कों में से एक है । इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत् है -

राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग	70,934 किमी.
राज्यीय राजमार्ग	1,54,522 किमी.
प्रमुख और अन्य जिला सड़कें	25,77,396 किमी.
ग्रामीण सड़कें	14,33,577 किमी.

1.3 राजमार्ग कैरिजवे की चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्गीकरण किया गया है । सामान्यतया, राष्ट्रीय राजमार्गें के एकल लेन के मामले में लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर होती है जबकि बहु-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में यह चौड़ाई 3.5 मीटर प्रति लेन होती है ।

चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत इस प्रकार है -

एकल लेन/मध्यवर्ती लेन	17,752 कि.मी. (25%)
दोहरी लेन	36,995 कि.मी. (52%)
चार लेन/छह लेन/आठ लेन	16,187 कि.मी. (23%)

सड़क परिवहन:

1.4 सड़कों से लगभग 60 प्रतिशत माल यातायात और 87.4 प्रतिशत यात्री यातायात होता है । यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क नेटवर्क का केवल लगभग 2 प्रतिशत ही हैं, इन पर कुल सड़क यातायात का 40 प्रतिशत यातायात होता है । सहज उपलब्धता, अलग-अलग आवश्यकताओं के प्रति अनुकूल और लागत में बचत जैसे कुछ कारकों से सड़क परिवहन लोकप्रिय है । सड़क परिवहन, रेलवे, पोत परिवहन और वायु यातायात के लिए फीडर सर्विस के रूप में कार्य करता है । वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन 10% की गति से वृद्धि होती रही है । सन् 1950-51 में कुल माल यातायात और यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा क्रमशः 13.8% और 15.4% था

और 2005-06 के अंत तक माल यातायात और यात्री यातायात में सड़क का हिस्सा बढ़कर क्रमश: अनुमानत: 60% और 87% हो गया है । इसलिए वर्तमान तथा भावी यातायात और भीतरी भू-भागों तक सुगम्यता - दोनों में सुधार के लिए सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, ऊर्जा खपत में अधिक किफायत, प्रदूषण में कमी तथा बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए सड़क यातायात को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

1.5 राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार का कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरणबद्ध रूप में शुरू की गई थी, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को चरण-। और चरण-।। से शुरु किया गया था जिनमें निम्नलिखित घटक शामिल है:-

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-I और II** में 2004 के मूल्यों पर लगभग 65,000 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से लगभग 14,000 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने की परिकल्पना की गई है । इन दोनों चरणों में स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग, पत्तन संपर्क सड़क और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं । स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली-मुंबई-चेन्नै-कोलकाता चार महानगरों को जोड़ने वाली 5846 कि.मी. लंबाई शामिल है । उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों में 7142 कि.मी.लंबाई शामिल है जो क्रमश: उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से (सलेम से कोचीन तक के स्कन्ध सहित) तथा पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ते हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में पत्तन सड़क संपर्क परियोजना भी शामिल है जिसमें देश के 12 महापत्तनों को जोड़ने के लिए 380 किमी. लंबाई में सड़कों का सुधार कार्य शामिल है तथा 965 किमी. लंबाई की अन्य परियोजनाएं भी शामिल की हैं ।

- सरकार ने 2,35,690 करोड़ रुपए के निवेश से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 2005-2015 की अवधि के दौरान चरणबद्ध रूप में पूरा किए जाने वाले एक व्यापक कार्यक्रम की भी परिकल्पना की है । इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-। और चरण-।। को पूरा करना; निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 12,109 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III; राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत 20,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना; राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 6,500 कि.मी. लंबे चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाना; राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे एक्सप्रेस मार्गों का विकास; राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े शहरों में 700 कि.मी. की लंबाई में रिंग रोड और बाइपास का निर्माण तथा फ्लाईओवर, उत्थापित सड़कें, सुरंगों, अंडर पासों, ग्रेड सेपरेटिड इंटरचेंजिज आदि जैसी अन्य स्वतंत्र संरचनाओं का निर्माण शामिल है ।

1.6 उपर्युक्त कार्यक्रमों में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-। और चरण-।। जो पहले अनुमोदित किए गए थे, के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है :-

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-।।।** के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 12,109 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन ।

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- IV** के अंतर्गत बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर एकल लेन/मध्यम लेन/दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की 20,000 किमी. लंबाई का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नयन और सुदृढ़ीकरण ।

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V** के अंतर्गत 41,210 करोड़ रु0 की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों की 6500 किमी. लंबाई, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की 5700 किमी. लंबाई और शेष 800 किमी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के अन्य खंड शामिल है, को 6 लेन का बनाया जाना ।

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI** के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत से नए संरेखणों पर पूर्ण पहुंच नियंत्रण के साथ 1,000 कि.मी. लंबे एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण ।

- **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII** के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपए की लागत से शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क सुधार, ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन, फ्लाई ओवर, उत्थापित राजमार्ग, रेल उपरि पुल, अंडरपासों और सर्विस रोड सहित रिंग रोड का निर्माण।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस ए आर डी पी - एन ई)

1.7 इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के बीच सड़क संपर्क में सुधार की परिकल्पना की गई है । इस प्रस्तावित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों (4798 किमी.) और राज्यीय सड़कों (5343 किमी.) की 10,141 किमी. लंबाई में सुधार कार्य शामिल है जो चरण 'क', चरण 'ख' और अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत किया जाएगा । अब चरण 'क' में 2041 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों और 2058 किमी. राज्यीय सड़कों का सुधार कार्य शामिल है । 1285 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन का बनाने और 2438 किमी. राज्यीय सड़कों को 2 लेन का बनाने/सुधार कार्य करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अब चरण 'ख' में संशोधन किया गया है । अरुणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1472 किमी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 847 किमी. लंबाई शामिल है ।

सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी

1.8 विगत में अवसंरचना क्षेत्र में, विशेषत: राजमार्गों में सरकार द्वारा ही निवेश किया जाता था और यह मुख्यत: बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता, परियोजनाओं की लंबी निर्माण अवधि,

अनिश्चित प्रतिलाभ तथा इनसे जुड़े अनेक बाह्य कारकों की वजह से किया जाता था। संसाधनों की तेजी से बढ़ती आवश्यकता तथा प्रबंधन दक्षता के प्रति चिन्ता एवं उपभोक्ता की सजगता के फलस्वरूप, हाल ही में, राजमार्ग परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भी सक्रिय भागीदारी शुरु हुई है । सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट और सड़क निर्माण उपस्करों और मशीनरी इत्यादि के शुल्क मुक्त आयात जैसे कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है । यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-III से चरण-VII तक सभी उप-परियोजनाएं मुख्यत: सार्वजनिक - निजी भागीदारी विधि से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) अथवा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर शुरू की जाएंगी ।

केन्द्रीय सड़क निधि

1.9 केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल तेल पर एकत्रित उपकर से केन्द्रीय सड़क निधि के नाम से एक समर्पित निधि सृजित की है । इस समय पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल तेल पर उपकर 2/- रुपए प्रति लीटर की दर से वसूला जा रहा है । केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार यह निधि, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल उपरि पुलों/रेल अधो पुलों (अन्डर ब्रिज) के विकास एवं अनुरक्षण तथा अन्य सुरक्षा कार्यों के लिए वितरित की जाती है । उपकर का वितरण निम्नलिखित पद्धति से किया जा रहा है :-

(i) 1.50 रु. प्रति लीटर की उपकर राशि इस प्रकार आबंटित की जा रही है:-

(क) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ।

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर का 50% और पेट्रोल पर एकत्रित संपूर्ण उपकर का आबंटन उसके बाद इस प्रकार किया जाता है:-

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ।
- 12.5% के बराबर धनराशि सड़कोपरि/अधो पुलों के निर्माण तथा फाटक रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए ।
- 30% के बराबर धनराशि, राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए । इसमें से 10% धनराशि अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाती है ।

(ii) शेष 0.50 रु0 प्रति लीटर उपकर का आबंटन, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ही किया जाता है ।

1.10 यह मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को धनराशि अनुमोदित करने और जारी करने, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा, देश में सड़कों और पुलों के मानक और विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार

1.11 सरकार ने 8 राज्यों के 33 जिलों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 7300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास की योजना को अनुमोदन प्रदान किया है । वर्ष 2010-11 के लिए 1000.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है । इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों (1126 किमी.) और राष्ट्रीय सड़कों (4351 किमी.) के अभिनिर्धारित खंडों को अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से दो लेन मानकों में विकसित किए जाने की योजना है ।

1.12 शेष संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो किसी अनुमोदित कार्यक्रम में शामिल नहीं है, में दो लेन बनाए जाने के लिए विशेष कार्यक्रम

मंत्रालय ने एकल लेन/मध्यम लेन के 6,700 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों का, कॉरीडोर पद्धति आधार पर न्यूनतम 2 लेन मानकों में विकास किए जाने के लिए कदम उठाए हैं । 3800 किमी. लंबाई में कार्य, 2.96 बिलियन अमरीकी डॉलर के विश्व बैंक ऋण से वित्त-पोषित किए जाने का प्रस्ताव है तथा शेष लंबाई में कार्य, बजटीय संसाधनों के माध्यम से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

सड़क सुरक्षा

1.13 यह मंत्रालय, देश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाने की आवश्यकता भी महसूस करता है । सड़क सुरक्षा के तीन पहलू हैं अर्थात् इंजीनियरी, प्रवर्तन और शिक्षा । राष्ट्रीय राजमार्ग के डिजाइन स्तर पर ही इंजीनियरी से संबंधित पहलुओं का ध्यान रखा जाता है । सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन पक्ष के लिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार होते हैं । सड़क सुरक्षा के शिक्षा संबंधी पहलू पर ध्यान, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियानों के माध्यम से दिया जाता है ।

अध्याय II

वर्ष एक नजर में

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र

स्वर्णिम चतुर्भुज

2.1 दिसंबर, 2010 तक स्वर्णिम चतुर्भुज के 5811 किलोमीटर (99.4%) में कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 35 किलोमीटर (0.6%) लंबाई में कार्य चल रहा है ।

उत्तर दक्षिण-पूर्व पश्चिम महामार्ग

2.2 31 दिसंबर, 2010 तक उत्तर - दक्षिण, पूर्व - पश्चिम महामार्ग के 5447 किलोमीटर में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा हो गया है और 1271 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना III

2.3 31 दिसंबर, 2010 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III के अंतर्गत 1968 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन बनाने का कार्य पूरा हो गया है और 5374 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण - IV

2.4 31 दिसंबर, 2010 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- **IV** के अंतर्गत 873 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण - V

2.5 31 दिसंबर, 2010 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-**V** के अंतर्गत 443 किलोमीटर लंबाई में 6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और 1857 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – VII

2.6 31 दिसंबर, 2010 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण – VII के अंतर्गत 41 किलोमीटर लंबाई में कार्य चल रहा है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

2.7 मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अधीन अलग-अलग उप परियोजनाओं के अनुमोदन और समन्वय के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया है । इस समिति ने 31 दिसंबर, 2010 तक, इस कार्यक्रम के चरण - क

के अंतर्गत 9484 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर कुल 2244 किलोमीटर लंबाई की विभिन्न उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया है । इस समिति ने 31 दिसंबर, 2010 तक अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत 3373 करोड़ रु0 की लागत से 416 किमी0 लंबाई की विभिन्न उप परियोजनाएं भी अनुमोदित की हैं ।

केन्द्रीय सड़क निधि

2.8 इस समय, पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर कुल 2 रुपए प्रति लीटर की दर से उपकर लगाया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के लिए 9742.73 करोड़ रुपए (राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 7848.98 करोड़ रुपए और राज्यीय सड़कों के लिए 1893.75 करोड़ रुपए) प्रदान किए गए हैं । वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए 210.42 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है ।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र

2.9 4880 किमी. राज्यीय सड़कों का 5951 करोड़ रूपए की लागत से दो लेन मानकों में विकास के लिए 180 प्रस्ताव, 31 दिसंबर, 2010 तक संस्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 3866 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने के लिए 3344 किमी. लंबाई के 126 कार्य सौंप दिए गए हैं । दिसंबर, 2010 तक 113 किमी. लंबाई में कार्य पूरा हो चुका है ।

2 लेन बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम

2.10 1564 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों को बजट संसाधनों के माध्यम से 4253 करोड़ रूपए की लागत से दो लेन में चौड़ा किए जाने के लिए 34 प्रस्ताव, 31 दिसंबर, 2010 तक संस्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 790 लंबाई के 12 कार्यों को 2344 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने के लिए सौंप दिया गया है ।

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

2.11 वर्ष 2010-11 के दौरान (31 दिसंबर, 2010 तक) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा 1725 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 73 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए ।

2.12 की गई मुख्य पहलें :

- इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्तमान संख्यांकन, वैज्ञानिक आधार पर किया जा रहा है । इस संबंध में गठित समिति ने सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों पर विधिवत् विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट को अगस्त, 2009 में अंतिम रूप प्रदान किया । राष्ट्रीय राजमार्गों के संशोधित संख्यांकन के लिए राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई है ।
- सड़क अवसंरचना के सृजन में दृष्टिगोचर प्रभाव के लिए सरकार ने 20 किमी प्रतिदिन की दर से राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार कार्य की परिकल्पना की थी जो

7000 किमी प्रतिवर्ष बनता है । इसके परिणामस्वरूप, 5 वर्षों में 35000 किमी में सुधार होगा । एकल लेन खंडों को हटाने तथा न्यूनतम 50% दो लेन खंडों में भीड़-भाड़ कम करने/सुधार करने पर बल दिया जाएगा । इससे, राष्ट्रीय राजमार्गों की 70,934 किमी कुल लंबाई के मुकाबले लगभग 50,000 किमी लंबाई में सुधार होगा । लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई है:-

क) **कार्य योजना । और ।। का अभिनिर्धारण**: प्रतिवर्ष 7000 किमी का लक्ष्य पूरा करने के लिए चालू कार्यों का एक पूल तैयार करने हेतु कार्य योजना । और ।। के अंतर्गत लगभग 27,246 किमी लंबाई के कार्य अभिनिर्धारित किए गए हैं ।

ख) **आदर्श रियायत करार में परिवर्तन और श्री बी. के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट:** श्री बी. के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी तथा इसकी सिफारिशों को आदर्श रियायत करार में सम्मिलित किया गया है । विवाद समाधान तंत्र के संबंध में श्री बी. के. चतुर्वेदी समिति की दूसरी रिपोर्ट पर कार्यान्वयन हेतु विचार किया जा रहा है ।

ग) **भूमि अधिग्रहण :** 122 विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों का गठन किया गया है । पिछले वर्ष अधिगृहीत 3120 हेक्टेअर भूमि के मुकाबले गत एक वर्ष में कुल 9000 हेक्टेअर भूमि अधिगृहीत की गई है ।

घ) **शक्तियों का विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन** : परियोजनाओं की बेहतर निगरानी के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ 14 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं । कार्यपालक निदेशकों के 6 पदों का सृजन किया गया है तथा दो पदों पर अधिकारियों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सतत प्रक्रिया के तौर पर जन शक्ति में वृद्धि की जा रही है ।

ङ) **प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के लिए साध्यता अध्ययन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना** : 14,811 किमी लंबाई की परियोजनाओं के लिए साध्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु परामर्शी अध्ययन किए गए; ये परियोजनाएं अगले वित्त वर्ष तक निविदा स्तर पर आ जाएंगी ।

च) **अनिर्णीत मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह के तंत्र का सृजन**: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित रणनीति - रूपरेखा और वित्त पोषण, फीस संबंधी नियमों में संशोधन, पर्यावरण, वन और वन्य जीव संबंधी स्वीकृतियों की पद्धतियों को युक्तियुक्त बनाए जाने, नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा आदि जैसे अनिर्णीत मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह का गठन किया गया है ।

छ) **राज्य सरकारों के साथ सार्वभौमिक राज्य सहायता करारों पर हस्ताक्षर** : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने के

लिए कुल 24 राज्य सरकारों ने राज्य सहायता करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

ज) **रेलवे के साथ संपर्क** : चूंकि लेवल क्रासिंग के स्थान पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण से संबंधित अनेक परियोजनाएं विद्यमान हैं, इसलिए रेलवे के साथ संपर्क के लिए रेलवे से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक अधिकारी के लिए महाप्रबंधक का एक पद निर्धारित किया गया है ।

झ) **राज्य सरकारों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति** : राज्य सरकार के विभागों द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में तेजी लाए जाने के लिए प्रधान सचिवों के स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ।

सड़क परिवहन क्षेत्र

2.13 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के भाग के तौर पर देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ उनके आपसी संपर्क और मोटर वाहनों के राज्यीय और राष्ट्रीय रजिस्टर की स्थापना किए जाने की दृष्टि से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया है । इस परियोजना से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध सूचना का संपूर्ण डाटाबेस सृजित किया जाना सुकर हो सकेगा । 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% कंप्यूटरीकरण हो चुका है । 975 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से 903 (93%) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है । इस समय तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% नेटवर्क संपर्क स्थापित हो चुका है । 975 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (91%) में से 890 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में परस्पर नेटवर्क संपर्क स्थापित हो चुका है । इस परियोजना से बैंक, बीमा कंपनियों, पुलिस और जांच एजेंसियों जैसे अन्य संगठन भी अत्यधिक लाभान्वित होंगे । यह मंत्रालय, मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्यीय रजिस्टर भी शीघ्र शुरू करेगा ।

2.14 मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन के व्यापक प्रस्ताव शामिल करते हुए संशोधित मंत्रिमंडल नोट की जून, 2009 में समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया कि इस अधिनियम का पुन: गहन अवलोकन किया जाए तथा संशोधन हेतु सुझाव लिए जाएं । पूर्व सचिव (जल भूतल मंत्रालय) श्री एस. सुंदर की अध्यक्षता में वाहन यातायात के विनियमन की अधुनातन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा चीन, जापान आदि जैसे अग्रणी एशियाई देशों में अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धतियों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी । समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत कर दी है तथा रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

2.15 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए एक विधेयक 4 मई, 2010 को लोक सभा में पेश किया गया था जिसे जांच के लिए विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष, राज्य सभा को 21 जुलाई, 2010 को प्रस्तुत कर दी है । वर्तमान में, समिति की सिफारिशों की जांच मंत्रालय में की जा रही है ।

2.16 मंत्रालय ने माल वाहकों के लिए 8 मई, 2010 से एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली शुरू की है । नई व्यवस्था के अनुसार, देश भर में वाहन के प्रचालन को अधिकृत करते हुए 15,000/- रू. प्रति वर्ष प्रति ट्रक की समेकित फीस के भुगतान पर राष्ट्रीय परमिट गृह राज्य द्वारा प्रदान किया जा सकता है ।

2.17 मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एक वेब-पोर्टल के माध्यम से नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली 15 सितंबर, 2010 से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं ।

2.18 01 से 07 जनवरी, 2011 के दौरान देश भर में 22वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया । इसका विषय था 'सड़क सुरक्षा एक मिशन है, इंटरमिशन नहीं' ।

2.19 मंत्रालय ने, देश में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 15 मार्च, 2010 से एक योजना शुरू की है । इस योजना में जी पी एस/जी एस एम आधारित वाहन खोज प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक टिकट वेंडिंग मशीन आदि जैसी सूचना प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है । कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान नामक 7 राज्यों की परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

2.20 मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10 आदर्श निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना किए जाने की एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है । व्यय वित्त समिति ने 01 अक्टूबर, 2010 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को अनुमोदन प्रदान किया है । इसे माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है । छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के लिए एक पायलट योजना संस्वीकृत किए जाने के अलावा कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए तीन केन्द्र पहले ही अनुमोदित कर दिए गए हैं ।

2.21 ड्राइविंग अनुसंधान के संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किए जाने की योजना को योजना आयोग की सहमति से संशोधित किया गया है ।

2.22 माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में परिवहन विकास परिषद् की 33 वीं (विशेष) बैठक 16 अप्रैल, 2010 को आयोजित की गई थी । परिवहन विकास परिषद एक शीर्ष निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल/मुख्यायुक्त शामिल होते हैं जो सड़क परिवहन के संबंध में सरकार को सलाह देते हैं ।

पथकराधान

2.23 पथकर संग्रहण :

- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में संशोधन क्रमश: 03 दिसंबर, 2010 तथा 12 जनवरी, 2011 को जारी किए गए थे । ये संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में हैं:-

1. पथकर के भुगतान से छूट-प्राप्त नई श्रेणियों को शामिल करने के लिए नियम 11 में संशोधन किया गया ।
2. दो लेन में उन्नयन की लागत अवसीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए किया गया ।
3. आधार वर्ष 2007-08 के अनुसार, 10 करोड़ रु0 अथवा इससे अधिक लागत से निर्मित, राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई में शामिल बाइपास के प्रयोग के लिए फीस की दर, निर्धारित फीस की दर की 1.5 गुणा होगी ।
4. थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर पथकर की गणना हेतु, इसकी गणना संबंधित वर्ष विशेष की 1 जनवरी को अथवा उसके तत्काल पश्चात् किए जाने के बजाए उससे पिछले वर्ष के दिसंबर माह के थोक मूल्य सूचकांक से की जाएगी ।
5. पथकर संग्रहण के लिए तीन धुरीय वाणिज्यिक वाहन की एक नई श्रेणी शामिल की गई ।

2.24 भारत में इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण प्रणाली का कार्यान्वयन :

इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण के लिए उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकियों की जांच के लिए तथा देशभर में कार्यान्वयन हेतु सबसे उपयुक्त प्रणाली की सिफारिश करने के लिए श्री नंदन निलेकणी अध्यक्ष, यूआईडीएआई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया । तत्पश्चात्, समिति ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण के लिए आरएफआईडी टैग्स को अपनाने की सिफारिश करते हुए जुलाई, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण प्रणाली से देश में अंत-प्रचालनीय ईटीसी प्रौद्योगिकी शुरू की जा सकेगी जिससे देश में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर निर्बाध आवागमन सुकर हो सकेगा । अद्वितीय पहचान वाले टैग्स वाहनों पर लगाए जाने का प्रस्ताव है । साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित सभी पथकर प्लाजाओं पर, इन टैग्स को पढ़ने वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी । सड़क प्रयोक्ता इन टैग्स को व्यापक नेटवर्क में नामित स्थानों से खरीद सकेंगे और वेब, ई-मेल, मोबाइल आदि के माध्यम से अपने खाते संबंधी ब्यौरे देख सकेंगे । इन टैग प्रणालियों का उपयोग वाहन खोज, पार्किंग, यातायात प्रवर्तन आदि जैसे अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा । समिति की सिफारिशों के अनुसार, ईटीसी के लिए ईपीसी, जेन-2, आईएसओ 18000-6सी मानकों पर आधारित आरएफआईडी अपनाए जाने का प्रस्ताव है ।

2.25 इन सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है । इस समय, यह मंत्रालय राष्ट्रीय संरचना, डिजाइन, तकनीकी विनिर्देशों को शामिल करते हुए ईटीसी ब्लू प्रिंट तैयार करने तथा राष्ट्रभर में ईटीसी प्रणाली के कार्यान्वयन में मदद के लिए भी एक परामर्शदाता को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है । परामर्शदाता द्वारा एक अनुभवी सिस्टम इंटेग्रेटर के चयन के लिए भारत में ईटीसी प्रणाली के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए आवश्यक प्रलेख तैयार किए जाएंगे ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सार्क वार्ताएं

2.26 माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में सार्क परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक 23.11.2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक में प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने दक्षिणी एशिया में अंत:क्षेत्रीय बहु-विध पारगमन संपर्क को सुदृढ़ किए जाने के उपायों में तेजी लाए जाने सहित संबंधित देशों के परिदृश्य पर प्रकाश डाला । प्रतिनिधिमंडल ने, क्षेत्रों को एकीकरण के लिए सीमाओं के आर-पार आपसी संपर्क शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की । प्रतिभागी देशों के नेताओं ने सार्क विकास निधि के शीघ्र प्रचालन के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया । बैठक में परिवहन के संबंध में अन्तर-सरकारी समूह की चौथी बैठक की रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा इसे अंगीकृत किया गया । बैठक में बंगलादेश-नेपाल-भारत के बीच कंटेनर ट्रेन का प्रायोगिक प्रचालन शीघ्र करने का निर्णय लिया गया । मंत्रियों ने प्रारंभ में, मालदीव, श्रीलंका और भारत उप-क्षेत्र से शुरू करते हुए समुद्री फैरी सर्विस की स्थापना संबंधी मालदीव के प्रस्ताव की महत्ता पर बल दिया । सदस्यों ने एसआरएमटीएस के अंतर्गत अंतर-क्षेत्रीय परिवहन परियोजनाओं की आयोजना और निगरानी के लिए संस्थागत क्षमताएं विकसित किए जाने के उपायों पर भी अपनी सहमति दी । अभिनिर्धारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में परिवहन मंत्रियों की दूसरी बैठक में की गई टिप्पणियों के संबंध में यह सम्मति भी बनी कि सदस्य राज्य, अध्ययन में अभिनिर्धारित कॉरीडोरों पर भावी प्रवेश/निकास स्थलों के संबंध में नवीनतम सूचना भी उपलब्ध कराएंगे ।

सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2.27 सड़क परिवहन के क्षेत्र में फिनलैंड गणराज्य के परिवहन और संचार मंत्रालय और भारत गणराज्य की सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच 10 मई, 2010 को एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

2.28 सड़क परिवहन और सड़क क्षेत्र में सहयोग के संबंध में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच 27 सितंबर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

2.29 राजमार्ग प्रबंधन और विकास के संबंध में तकनीकी सहायता सेवाओं के प्रावधान संबंधी सहयोग के संबंध में मलेशिया सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच 21 दिसंबर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

अन्य देशों के साथ सहयोग सुदृढ़/विकसित किया जाना :

2.30 सड़क, सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए । भीड़-भाड़, पर्यावरणीय प्रभाव, पुरानी पड़ रही अवसंरचना, बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी अनेक परिवहन समस्याओं का निपटान, नवाचार उपायों से किए जाने के लिए तथा विदेशों में अपनाई जा रही तकनीकी विशेषज्ञता से भी लाभ उठाने के लिए माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने यूएसए के साथ-साथ, कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों का दौरा किया । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप परस्पर लाभप्रद तकनीकी

सुविज्ञता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों और अन्य द्विपक्षी करारों पर हस्ताक्षर किए गए । भारत की अवसंरचना परियोजनाएं विशेषत: परिवहन क्षेत्र की परियोजनाएं देश में और देश से बाहर के अनेक निजी निवेशों की सहायता से, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पर्याप्त उपायों की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ी हैं ।

अध्याय-III

सड़क विकास

3.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न अन्य सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती हैं । राज्यीय सड़को के विकास में राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार, अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है । यह मंत्रालय, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के अलावा देश में सड़कों और पुलों के लिए मानक एवं विनिर्देश तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है ।

3.2 राष्ट्रीय राजमार्गों जिनके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है, की लंबाई 70,934 कि.मी. है । राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक–I** में दी गई है ।

3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता दबाव, अपर्याप्त पेवमेंन्ट क्रस्ट, घटिया ज्यामिती और सुरक्षा कारकों के अभाव जैसी विभिन्न कमियां हैं । उपलब्ध संसाधनों के अंदर, कार्यों को प्राथमिकताबद्ध करके वियमान राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण/ चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है । हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन प्रदान कर रही है और उच्च सघनता वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है । सड़क विकास के भौतिक कार्यक्रमों के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । निजी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली निधियों से कुछ हद तक मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर के कम होने की संभावना है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

3.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में अब तक शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

संगठनात्मक ढांचा

3.5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन, इसमें निहित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए संसद के एक अधिनियम के

द्वारा किया गया था । फरवरी, 1995 में इसके प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ इसका प्रचालन शुरू हुआ ।

3.6 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख एक अध्यक्ष हैं और उनके अधीन पाँच पूर्णकालिक सदस्य अर्थात् सदस्य (प्रशासन), सदस्य (वित्त), दो सदस्य (परियोजना) और एक सदस्य (तकनीकी) हैं । प्राधिकरण के चार अंशकालिक (पदेन) सदस्य अर्थात् सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सचिव, व्यय विभाग, सचिव, योजना आयोग और महानिदेशक (सड़क विकास), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हैं । इन सदस्यों के कार्य में मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप-महाप्रबंधक और प्रबंधक स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है । प्राधिकरण के जोनल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यान्वयन इकाई और कारीडोर प्रबंधन इकाईयों के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो पूरे देश में फैले हैं । इन इकाइयों के प्रमुख कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक होते हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए और पूरे हो चुके खंडों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं । सिविल ठेकेदारों और पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं आदि से संबंधित सभी प्रापण मुख्यालय द्वारा किए जाते हैं । क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी, निर्माण पूर्व कार्यों तथा परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के संगठनों के साथ संपर्क साधने के लिए जिम्मेदार होते हैं ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पुनर्गठन

3.7 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित किया था । इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

I. पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 और अंशकालिक सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर से 6 करना ।
II. अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक नियत करना ।
III. मुख्य महाप्रबन्धक स्तर के 26 पदों का सृजन करना ।
IV. बाह्य विशेषज्ञों को कार्य पर लेने की शक्ति प्राधिकरण को प्रदान करना ।
V. प्राधिकरण में 7 विशिष्ट प्रकोष्ठों का सृजन करना ।
VI. कुछ समयावधि में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थायी कर्मचारियों का एक कोर बनाना ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3.8 भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2,35,690 करोड़ रु0 के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो 2015 तक पूरी की जानी है, के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है । अप्रैल, 2007 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत शुरु की जाने वाली सभी नई परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर शुरु किया जाएगा । सबसे पहले इन्हें बी ओ टी (पथकर) आधार पर सौंपे जाने का प्रयास किया

जाएगा, इसके विफल होने पर इसे बी ओ टी (वार्षिकी) आधार पर और इसके भी विफल होने पर सरकार के अनुमोदन से इसे इंजीनियरी प्रापण निर्माण (ईपीसी) आधार पर सौंपा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्त-पोषण

3.9 वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए 35,681 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 31 दिसंबर, 2010 तक 20,809.21 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II

3.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण -I और चरण-II में निम्नलिखित मार्गों का 4/6 लेन के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास करना शामिल है:-

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज जो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली - मुम्बई – चेन्नै – कोलकाता को आपस में जोड़ता है ।

(ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से (सलेम-कोचीन खंड सहित) और पोरबन्दर को सिलचर से जोड़ते हैं ।

(ग) देश के महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना ।

(घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ।

3.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I को, 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2000 में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीइए) द्वारा अनुमोदित किया गया था । इस परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5846 कि.मी., उत्तर–दक्षिण, पूर्व-पश्चिम महामार्गों के 981 कि.मी., पत्तन संपर्क के 356 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि.मी. को मिलाकर कुल 7,498 कि.मी. शामिल हैं । वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2010 तक 54.45 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।

3.12 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II को 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था । इसमें मुख्यत:, उत्तर-दक्षिण, पूर्व–पश्चिम महामार्ग (6,161 कि.मी.) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 486 कि.मी. को मिलाकर कुल 6647 कि.मी. लंबाई शामिल है । वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2010 तक 469.89 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण -III

3.13 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर 12,109 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है । यह चरण दो भागों अर्थात् चरण-IIIक और चरण-IIIख में अनुमोदित किया है । चरण IIIक में 33,069 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर कुल 4,815 कि.मी. लंबाई शामिल है और चरण IIIख में 47,557 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर कुल 7,294 कि.मी. लंबाई शामिल है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

चरण-III को पूरा करने की नियत तारीख दिसंबर, 2013 है । इस चरण के अंतर्गत खंडों का अभिनिर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गया है :-

i) चरण । और ।। में शामिल न किए गए उच्च घनत्व वाले यातायात कॉरीडोर ।
ii) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-। और ।।) के साथ राज्य राजधानियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।
iii) पर्यटन केन्द्रों और आर्थिक महत्व के स्थानों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।

31 दिसंबर, 2010 तक 12,109 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले में 1968 कि.मी. लंबाई में 4 लेन पहले ही बना दी गई हैं और 5374 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है । वर्ष के दौरान दिसंबर, 2010 तक 387.46 कि.मी. में कार्य पूरा हो गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- IV

3.14 इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर लगभग 20,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन की परिकल्पना की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVक जिसमें 5,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन/सुदृढ़ीकरण किया जाना शामिल है, को मंत्रिमंडल ने 17 जुलाई, 2008 को अनुमोदित किया । अभी तक 544 किमी. की पांच परियोजनाएं सौंपी गई हैं तथा शेष परियोजनाओं को सौंपने/अनुमोदन देने/साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IVख जिसमें 15,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नयन/सुदृढ़ीकरण किया जाना शामिल है, को सरकार द्वारा अभी अनुमोदन प्रदान किया जाना है । अग्रिम कार्रवाई के तौर पर 15046 किमी. लंबाई के 112 खंड अभिनिर्धारित किए गए हैं जिसमें से 14403 किमी. लंबाई के 106 खंडों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जा रही हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण- V

3.15 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत (डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर) मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 41,210 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से 6 लेन बनाए जाने के कार्य को अक्तूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था । 6 लेन बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,700 कि.मी. और अन्य खंडों के 800 कि.मी. शामिल हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई में से 31 दिसंबर, 2010 तक 443 कि.मी. लंबाई में पहले ही 6 लेन बनाई जा चुकी हैं और 1857 किमी. में कार्य चल रहा है । वर्ष के दौरान, दिसंबर, 2010 तक 228.49 किमी. में कार्य पूरा कर लिया गया है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण - VI

3.16 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VI में डिजाइन-निर्माण-वित्त-प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे पूर्णत: पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास की परिकल्पना की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास

परियोजना के चरण- **VI** को 16,680 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर नवंबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था । इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । इसमें से 9,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से प्राप्त होंगे और अर्थक्षमता अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, परामर्शी सेवाओं आदि की लागत को पूरा करने के लिए शेष 7,680 करोड़ रुपए सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे । इस संपूर्ण परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII

3.17 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत बी ओ टी (पथकर) विधि से 16,680 करोड़ रुपए (2007 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से दिसंबर, 2007 में स्वतंत्र रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों, फ्लाइओवरों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरि पुलों, अंडर पासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया था । विभिन्न राज्यों में 36 खंडों जिनका ब्योरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है, में कार्य शुरु करने का प्रस्ताव किया गया है ।

- तमिलनाडु में 1485 करोड़ रु0 की लागत से चेन्नै पत्तन से मदुरावोयल तक 4 लेन की उत्थापित सड़क के प्रस्ताव को सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा अगस्त, 2008 में अनुमोदित कर दिया गया था । यह परियोजना जनवरी, 2009 में सौंप दी गई थी ।
- बंगलौर में 680 करोड़ रु0 की लागत से हब्बल फ्लाईओवर से नए एयरपोर्ट (22 कि.मी.) तक रारा-7 के उन्नयन का प्रस्ताव । परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

तालिका 3.1

31.12.2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों की समग्र स्थिति, पूर्ण हो चूकी लंबाई

चरण	कुल लंबाई किमी में	पूर्ण लंबाई किमी में	01.04.2010-31.12.2010 के दौरान पूरी हो चूकी लंबाई	पूरा होने की संभावित तिथि
I स्वर्णिम चतुर्भुज,पूर्व पश्चिम-उत्तर दक्षिण महामार्ग, पत्तन संपर्क तथा अन्य	7,498	7384	54.45	-
II उत्तर दक्षिण - पूर्व पश्चिम महामार्ग, अन्य को 4/6 लेन का बनाना	6,647	4934	469.89	दिसंबर, 2010
III उन्नयन, 4/6 लेन बनाना	12,109	1968	387.46	दिसंबर, 2013
IV पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाना	20,000	-	-	दिसंबर, 2015 (वित्तीय योजना के अनुसार)

V स्वर्णिम चतुर्भुज और उच्च घनत्व वाले महामार्गों को 6 लेन का बनाना	6,500	443	228.49	दिसंबर, 2012
V I एक्सप्रेस मार्ग	1000	शून्य	शून्य	दिसंबर, 2015
V II रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर तथा अन्य संरचनाएं	रिंग रोड/ बाईपास+ फ्लाईओवर आदि के लिए 700 किमी	शून्य	शून्य	दिसंबर, 2014

एनएचडीपी परियोजनाओं को सौंपा जाना

3.18 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की विभिन्न परियोजनाएं सौंपने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 9000 कि.मी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत कुल 3671 कि.मी. लंबाई सौंपी गई ।

तालिका-3.2

तालिका 3.2
वर्ष 2010-11 के दौरान सौंपी गई परियोजनाएं

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई (किमी)	कुल परियोजना लागत (करोड रू.)	सिविल ठेका अथवा बीओटी अनुदान अथवा वार्षिकी भुगतान पर सौंपी गई (करोड़ रूपए)	सौंपने की तिथि
1	रिमोली-रोक्सी-राजमुंडा (अनुमोदित लंबाई 163 किमी): ओडिशा	215	96	586	229.25	अप्रैल, 2010
2	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै (अनुमोदित लंबाई 125.5 किमी) तमिलनाडु (61.47)/आंध्र प्रदेश (63.23)	205	124.7	571	51.39	अप्रैल, 2010
3	बरेली-सीतापुर (अनुमोदित लंबाई 134 किमी): उत्तर प्रदेश	24	151.2	1046	255	अप्रैल, 2010
4	देवीहल्ली-हासन (अनुमोदित लंबाई 73 किमी): कर्नाटक	48	77.23	453	180.18	अप्रैल, 2010
5	चण्डीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर को 6 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 61 किमी): ओडिशा	5	67	1047	205	अप्रैल, 2010
6	वाराणसी-औरंगाबाद: बिहार (135)/उत्तर प्रदेश (57.4)	2	192.4	2848	565	अप्रैल, 2010
7	देवली-कोटा: राजस्थान	12	83	593		अप्रैल, 2010

8	काजीगुंड-बनिहाल जम्मू और कश्मीर	1ए	15.25	1987	245	अप्रैल, 2010
9	जम्मू-उधमपुर जम्मू और कश्मीर	1ए	65	1813.76	201.9	अप्रैल, 2010
10	होसूर-कृष्णागिरि को 6 लेन का बनाया जाना: तमिलनाडु	7	59.87	535	66.9	मई, 2010
11	जोरबाट-बारापानी मेघालय	40	61.8	536	72.51	मई, 2010
12	नागपुर बेतूल को 4 लेन का बनाया जाना: मध्य प्रदेश (120)/महाराष्ट्र (56.3)	69	176.3	2498.76	290.8	मई, 2010
13	डिंडिगुल-पेरिगुलम-थानी-कुमिली को 2 लेन का बनाया जाना: तमिलनाडु	220	134	485	20.5	मई, 2010
14	संभलपुर-बाडागढ़-छत्तीसगढ़/ओडिशा सीमा: ओडिशा	6	88	909	1.33	मई, 2010
15	नेल्लौर-चिलकालुरीपेट को 6 लेन का बनाया जाना: आंध्र प्रदेश	5	183.52	1535	126.99	मई, 2010
16	भोपाल-सांची (अनुमोदित लंबाई 40 किमी): मध्य प्रदेश	86 विस्तार	53.78	209	12.95	मई, 2010
17	दिल्ली-आगरा (अनुमोदित लंबाई 180.3 किमी): हरियाणा (74) / उत्तर प्रदेश (105.5)	2	179.5	1928.22		मई, 2010
18	फोरबेसगंज-जोगवानी को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 13 किमी): बिहार	57ए	9.258	73.55	7.11	मई, 2010
19	त्रिची-करईकुडी और त्रिची बाइपास को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 100 किमी): तमिलनाडु	210 और 67	110.372	374	21.345	मई, 2010
20	कर्नाटक/केरल सीमा से कन्नूर खंड (अनुमोदित लंबाई 286.3 किमी): केरल	17	126.6	1157.16	112	मई, 2010
21	बेलगाम-धारवाड (अनुमोदित लंबाई 111 किमी): कर्नाटक	4	80	480	31	मई, 2010
22	शिलोंग बाइपास मेघालय	40 और 44	50	226	24.87	मई, 2010
23	छपरा-हाजीपुर को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 153 किमी): बिहार	19	65	575	65.43	मई, 2010
24	भुवनेश्वर-पुरी (अनुमोदित लंबाई 59 किमी): ओडिशा	203	67	500.29	193.78	मई, 2010
25	महाराष्ट्र/गोवा सीमा- पणजी गोवा/कर्नाटक सीमा को 4/6 लेन का बनाया जाना: गोवा	17	139	1872	664.74	मई, 2010
26	बरही-हजारीबाग को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 40 किमी) झारखंड	33	41.314	398	150.85	मई, 2010
27	मोकामा-मुंगेर को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 70 किमी): बिहार	80	69.27	351.54	39.94	मई, 2010

28	चित्रदुर्ग-तुमकुर बाइपास (अनुमोदित लंबाई 145 किमी): कर्नाटक	4	114	839	140.4	मई, 2010
29	चेनानी-नसरी जम्मू और कश्मीर	1ए	12	2159	317.52	मई, 2010
30	बेलगाम-खानपुर खंड (किमी 0.00 से किमी 30.00) को 4 लेन का बनाया जाना और खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा (किमी 30.00 से किमी 84.120) को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाया जाना: कर्नाटक	4ए	81.89	359		जुलाई, 2010
31	मुज्जफरपुर-सोनबरसा को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 89 किमी): बिहार	77	86	511.54	52.4	जुलाई, 2010
32	श्रीनगर से बनिहाल जम्मू और कश्मीर	1ए	67.76	1100.7	134.82	सितंबर, 2010
33	रारा-8 डी के जेतपुर-सोमनाथ खंड को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 127.6): गुजरात	8डी	123.45	828	22.71	सितंबर, 2010
34	नरसिंहपुर-अमरवाडा-उमरानाला-शिवनेर खंड और मुल्तई-छिंदवाडा-शिवनी खंड (पेव्ड शोल्डरों सहित 2 लेन का बनाया जाना) मध्य प्रदेश (405) / महाराष्ट्र (13)	69ए और 26बी	418	1565	1411.36	अक्टूबर, 2010
35	आगरा-अलीगढ़ उत्तर प्रदेश	93	79	250.5	48.5	नवंबर, 2010
36	कानपुर-कबई उत्तर प्रदेश	86	123	373.47	123	नवंबर, 2010
37	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट सड़क संपर्क को पर्याप्त सड़क संपर्क उपलब्ध कराना [चरण-I के अंतर्गत दो परियोजनाओं का विलय एक परियोजना में किया गया । कुल परियोजना लंबाई 6 किमी अधिक हो गई (30.2 किमी)]	एस आर	30.20	600	253.47	दिसंबर, 2010
38	लुधियाना-तलवंडी खंड को 4 लेन का बनाया जाना	95	78	479	1.08	दिसंबर, 2010
39	पनवेल-इंदापुर	17	84	942.69	33.95	अक्टूबर, 2010
40	पटना-बख्तियारपुर	30	50.6	574	113.40	दिसंबर, 2010
41	अलीगढ़-कानपुर	91	268	723.68	287.91	दिसंबर, 2010
42	रायबरेली से इलाहाबाद	24बी	119	291.36	42.10	दिसंबर, 2010

कॉरीडोर प्रबंधन

3.19 कॉरीडोर प्रबंधन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके खंडों का अनुरक्षण और प्रचालन निम्नलिखित जिम्मेदारियों के साथ किया जाता है :-

(i) नेमी और आवधिक अनुरक्षण
(ii) सड़क संपत्ति प्रबंधन
(iii) घटना प्रबंधन
(iv) इंजीनियरी सुधार
(v) पथकर संग्रहण
(vi) मार्गस्थ सुविधाएं

पथकर व्यवस्था

3.20 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 2871 कि.मी. लंबाई पर पथकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अलावा, वर्ष 2010-11 के लिए राजस्व लक्ष्य 1500 करोड़ रु0 है । दिसंबर, 2010 तक 849 किमी. लंबाई में पहले ही पथकर लगाया जा चुका है तथा प्रयोक्ता शुल्क के रूप में 1410.06 करोड़ रु0 संग्रहीत किए गए हैं । पथकर प्रबंधन और राजस्व संग्रहण में सुधार लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रतियोगी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से फीस संग्रहण एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है ।

शहरी परिवहन सुधार परियोजनाएं

3.21 4 ग्रेड सेपरेटर परियोजनाओं के निर्माण सहित चेन्नै शहर में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के पहुंच मार्गों का सुधार कार्य चल रहा है । इससे शहर के साथ सड़क संपर्क में सुधार होगा । सिल्क बोर्ड जंक्शन के साथ इलैक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ने के लिए बेंगलूरू शहर में उत्थापित एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है ।

कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना

3.22 परियोजनाओं, विशेषकर बीओटी आधार पर चलाई जाने वाली परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कार्यान्वयन प्रणाली को सुचारू बनाया गया है । संबंधित अधिकारियों को पी पी पी ए सी/आर एफ क्यू/आर एफ पी संबंधी सरकारी प्रक्रियाओं के प्रति सुग्राही बनाया गया है । सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) के स्तर पर, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें होती हैं ।

राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

3.23 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, लगभग 42,808 कि.मी. लंबे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विकास और अनुरक्षण कार्य, इस समय, संबंधित लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है । ऐसे सड़क खंडों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल नहीं हैं, के संबंध में वर्ष 2010-11 के दौरान 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुल 1584.45 करोड़ रु. के 116 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं ।

3.24 चालू वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3958.10 करोड़ रु. और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 700 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है । 3958.10 करोड़ रु. के अतिरिक्त, स्थायी पुल शुल्क निधि से 120.00 करोड़ रु0 की धनराशि, राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित की गई है ।

3.25 राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान क्रमश: 2022.86 करोड़ रु. और 34.00 करोड़ रु0 का आबंटन किया गया है ।

3.26 वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण की अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत किया गया राज्यवार आबंटन **अनुलग्नक -III** में दिया गया है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

3.27 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है । इस कार्यक्रम में लगभग 4798 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों में दो/चार लेन बनाए जाने तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 5343 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाए जाने/सुधार करने की परिकल्पना की गई है । इससे, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 88 जिला मुख्यालयों को दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों/दो लेन की राज्यीय सड़कों से जोड़ा जा सकेगा ।

इस कार्यक्रम को चरण 'क' और चरण 'ख' तथा अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज में विभाजित किया गया है ।

चरण 'क'

3.28 इस चरण में 21,769 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई का सुधार कार्य शामिल है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 2,041 कि.मी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 2,058 कि.मी. लंबाई शामिल है । सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई में से 3213 कि.मी. लंबाई में, 12,821 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत के विकास कार्य, सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए हैं । शेष 886 कि.मी. लंबाई में से 394 कि.मी. लंबाई में कार्य, बीओटी (वार्षिकी) आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, ईटानगर को 4 लेन सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 250 कि.मी. लंबाई में कार्य मंत्रालय/असम/अरुणाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा और रारा-31ए का सुधार कार्य तथा गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग की 242 कि.मी.लंबाई में कार्य, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा । उक्त 3213 कि.मी. लंबाई में से 2244 कि.मी. लंबाई की परियोजनाएं, 9484 करोड़ रु0 की लागत पर दिसंबर, 2010 तक अनुमोदित की जा चुकी हैं और ये कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं । चरण 'क' को पूरा किए जाने की संभावित तिथि मार्च, 2017 है ।

चरण 'ख'

3.29 इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों की 1285 कि.मी. लंबाई को दो लेन का बनाया जाना और राज्यीय सड़कों की 2438 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाया जाना/सुधार कार्य शामिल है । चरण ख को केवल डीपीआर तैयार किए जाने हेतु ही अनुमोदित किया गया है और निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा अभी लिया जाना है ।

अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज

3.30 अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज, जिसमें 2319 कि.मी. लंबे सड़क खंड शामिल हैं, को सरकार द्वारा 9 जनवरी, 2009 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर अनुमोदित किया गया । इसमें से 776 कि.मी. में कार्य को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1543 कि.मी. के लिए कार्य को ईपीसी आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । दिसंबर, 2010 तक 2905 करोड़ रुपए की लागत से 350 किमी. लंबाई के कार्य सौंप दिए गए हैं तथा 829 किमी. लंबाई के कार्य, निविदा स्तर पर हैं । शेष 1069 किमी. के लिए प्राक्कलनों की जांच की जा रही है/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है ।

कठिनाइयां

3.31 उपर्युक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय कई कठिनाइयां सामने आईं जो निम्नवत् हैं -

- **भूमि अधिग्रहण** - कुछ राज्यों में, मुख्यत: प्रक्रियागत औपचारिकताओं, मुकदमों तथा संबंधित राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलंब हुआ है ।
- **वन एवं पर्यावरण अनुमति** - केन्द्र और राज्य सरकारों- दोनों ही स्तरों पर वन अनुमति प्राप्त होने में काफी विलंब हुआ है ।
- **आर ओ बी डिजाइनों के लिए रेलवे की अनुमति** - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को रेलवे की लेवल क्रासिंग से मुक्त करने के लिए रेल उपरि पुल तथा रेल अधो पुल बनाए जाने थे । रेलवे से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रेलवे के ही कई विभागों के साथ समन्वय करना पड़ता है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने में लंबा समय लग जाता है ।
- **सार्वजनिक सुविधाओं का स्थानांतरण** - विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं जैसे इलैक्ट्रिक लाइन, पानी की पाइप लाइन, सीवर लाइन, दूर संचार लाइनों का स्थानान्तरण कार्य जो संबंधित सुविधा प्रदाता एजेंसियों की सहायता से पूरा किया जाना था, में बहुत अधिक समय लगा ।
- **कानून-व्यवस्था की समस्या -** कानून-व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति तथा समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के कारण, कई राज्यों में कार्य प्रभावित हुए हैं । इसके अतिरिक्त,

स्थानीय जनता द्वारा अतिरिक्त भूमिगत पारपथों/बाइपासों, फ्लाईओवरों आदि की मांग को लेकर भी बार-बार काम रोका गया ।

- **कुछ ठेकेदारों द्वारा अल्प कार्य निष्पादन** - कुछ ठेकेदारों का कार्य निष्पादन बहुत खराब रहा है । इस अल्प कार्य निष्पादन का मुख्य कारण, नकदी व्यवस्था की समस्या रही है । इन ठेकों को समाप्त किए जाने पर लंबे समय तक मुकदमे चलने के कारण कार्य पूरा करने में और अधिक विलंब हुआ ।

केन्द्रीय सड़क निधि

3.32 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए 15,264.00 करोड़ रु0 के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 4.1

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन (करोड़ रु.)

1.	राज्यीय सड़कों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	1893.75
2.	अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	210.42
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग	7848.98
4.	ग्रामीण सड़कें	4434.12
5.	रेलवे	876.73
	जोड़	**15,264.00**

3.33 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के आबंटन के लिए नियत की गई निधियां, विभिन्न राज्यों को, ईंधन की खपत के आधार पर 30% मान देते हुए और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 70% मान देते हुए आबंटित की जाती हैं ।

3.34 वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है -

तालिका 4.2

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	985.00	332.01	962.03	300.00	980.00	950.28
वर्ष	2003-04		2004-05		2005-06	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	910.76	778.94	868.00	607.40	1535.36	1299.27
वर्ष	2006-07		2007-08		2008-09	

	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
करोड़ रु0	1535.46	1462.29	1565.32	1322.19	2171.64	2122.00
वर्ष	2009-10		2010-11			
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी		
करोड़ रु0	1786.56	1344.98	2593.75	1466.97*		
* (दिसंबर,2010 तक)						

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए अनुमोदन

3.35 वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक), केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1121.40 करोड़ रुपए की लागत वाले 125 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं हैं ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं

3.36 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियमन के पहले से विद्यमान थीं । उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्वीकृत किए जाते थे । अब इस योजना को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है । अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण (ऋण की बजाए) प्रदान किया जाता है । आर्थिक महत्व की योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50-50% वित्त पोषण किया जाता है ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृति

3.37 वर्ष 2010-11 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 210.42 करोड़ रु0 की धनराशि निर्धारित की गई है । वर्ष 2010-11 के दौरान (दिसंबर, 2010 तक), 429.54 करोड़ रु0 के केन्द्र के हिस्से के साथ 409.98 करोड़ रु0 के कुल 29 प्रस्तावों को संस्वीकृति प्रदान की गई है ।

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

व्यापक कार्यकलाप :

3.38 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी है । यह केन्द्र और राज्य सरकारों- दोनों का एक सहयोगी निकाय है । देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी ।

3.39 यह संस्थान पिछले 26 वर्ष से कार्य कर रहा है और 1.10.2001 से इसने अपने परिसर ए-5, सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से काम करना प्रारंभ किया ।

3.40 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के कार्यों में मौटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना ।

(ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना ।

(घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(ड.) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास ।

3.41 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ने अपने प्रारंभ से अब तक (31 दिसंबर, 2010 तक) 868 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सड़क विकास के कार्य में लगे 20,313 राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है । इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों से होते हैं । भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) तथा कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग योजना में विदेशी सरकारों के अभियंताओं ने भी भाग लिया है । इस अकादमी ने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है ।

वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

3.42 वर्ष 2010-11 के दौरान (31 दिसंबर, 2010 तक), अकादमी ने 73 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1725 अभियंताओं ने भाग लिया । इन कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित प्रायोजित और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं शामिल हैं :-

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं पर राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों और राज्यीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- सार्क देशों के इंजीनियरों के लिए सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा संपरीक्षा ।
- पूर्वोत्तर राज्यों के इंजीनियरों के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- आईएल एंड एफएस के प्रबंधकों के लिए सुरक्षा जोन संबंधी पाठ्यक्रम ।
- सड़क निर्माण विभाग, बिहार के इंजीनियरों के लिए पटना में 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों और प्रबंधकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ।
- कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग स्कीम के अंतर्गत अंतरर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- राजमार्ग परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी के विभिन्न कार्यक्रम ।
- कॉमनवेल्थ बिजनेस स्कूल, यूके के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यशाला ।
- मंगोलिया के इंजीनियरों के लिए परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

सड़क निर्माण में यांत्रिकीकरण तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3.43 देश में, तीव्र गति से आवागमन और भारी मात्रा में यातायात के साथ राजमार्गों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के तेजी से और गुणवत्तापूर्वक निर्माण और अनुरक्षण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक और परिष्कृत मशीनों का उपयोग किया जाए । विभिन्न सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों और उपस्करों के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाना भी महत्वपूर्ण है । मंत्रालय ने निर्माण और अनुरक्षण कार्य में आधुनिक और परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनों की तैनाती के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

- मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश राज्यों को आबंटित एक-एक मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट (एमबीआईयू) का उपयोग, पुलों का समुचित अनुरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करने और संकटग्रस्त पुलों की मरम्मत में सहायता के लिए किया गया है ।
- वाहनों में अधिक भार लदान, जिससे अंतत: सड़कों को क्षति पहुंचती है, को रोकने पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है । अधिक भार लदान के कारण राजमार्गों पर दुर्घटनाएं भी होती हैं । अधिक भार लदान को रोकने के लिए तथा यातायात आंकड़ों के स्वत: सृजन के लिए मंत्रालय, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के भिन्न-भिन्न खंडों पर 13 डब्ल्यूआईएम-कम-एटीसीसी (वे-इन-मोशन-कम-आटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर-कम-क्लासीफायर) स्थापित करना चाहता है ।
- नवीनतम प्रौद्यिगिकीय उपकरणों के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए 'हॉट मिक्स प्लांट्स के चयन, प्रचालन और अनुरक्षण के दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, मृदा एवं बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य के लिए कॉम्पेक्शन उपकरण संबंधी दिशा-निर्देशों का दस्तावेज भी तैयार किया गया है ।
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में उपकरणों और सामग्री के संबंध में सीमा और उत्पाद शुल्क में छूट की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है । इस सुविधा से ठेकेदार, नवीनतम एवं परिष्कृत सड़क निर्माण मशीनरी मंगाने के प्रति आकृष्ट हुए हैं ।

- बेहतर गुणवत्ता और कार्य का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निजी उद्यमियों को सड़क निर्माण कार्य में आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए वित्त मंत्रालय के सहयोग से सड़क निर्माण मशीनरी की 21 मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है ।

अध्याय - IV

सड़क परिवहन

4.1 घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ के कारण सड़क परिवहन, माल भाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए एक पसंदीदा और किफायती साधन है । इस प्रकार, देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है । 2005-06 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.5% के हिस्से के साथ सड़क परिवहन, भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है । सड़क परिवहन क्षेत्र से देश में लगभग 87% यात्री यातायात और 60% माल भाड़े का यातायात होता है । सड़क यातायात अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारक हैं - आसान उपलब्धता, अलग-अलग प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती लागत । रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन, पूरक सेवा का कार्य भी करता है ।

4.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

4.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है -

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865 (इसे नए 'सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है ।)

4.4 मंत्रालय ने 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राज्यीय और राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की एक परियोजना को संस्वीकृत किया है । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा इस परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है । इस परियोजना में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/राज्यीय परिवहन प्राधिकरणों का कंप्यूटरीकरण किया जाना और तत्पश्चात् इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राष्ट्रीय और राज्यीय सजिस्टर से जोड़ा जाना है । 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% कंप्यूटरीकरण हो चुका है । स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 975 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं । 903 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है । राज्य की अपेक्षानुसार मानक साफ्टवेयर को प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप बनाने का कार्य 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया है । यह साफ्टवेयर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक प्रायोगिक स्थल पर तो चल ही रहा है । 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% नेटवर्क संपर्क स्थापित हो चुका है । 890 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है ।

4.5 'सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007' को दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित किया गया । संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में गठित एक कार्यकारी समूह ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । इस समूह की सिफारिशों के आधार पर, हितधारियों से 45 दिन की अवधि में सुझाव आमंत्रित करने के लिए 'सड़क द्वारा वहन नियमावली' के मसौदे को 15 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया है । ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर, कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से नियमों को अंतत: अधिसूचित करने से पूर्व, इस अधिनियम के मानदंडों के अंतर्गत विचार किया जाएगा । पहले, सड़क द्वारा वहन अधिनियम को 15 अगस्त, 2010 से प्रभावी किया जाना था । तथापि, बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों और ट्रांसपोर्टरों की आपत्तियों को भी ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि सड़क द्वारा वहन नियमावली के मसौदे के संबंध में सभी आपत्तियों/सुझावों की ध्यानपूर्वक जांच किए जाने की आवश्यकता है । तदनुसार, सड़क द्वारा वहन अधिनियम के कार्यान्वयन को 28 फरवरी, 2011 तक स्थगित कर दिया गया है ।

4.6 मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन के व्यापक प्रस्ताव शामिल करते हुए संशोधित मंत्रिमंडल नोट की जून, 2009 में समीक्षा की गई थी और वाहन यातायात के विनियमन की अधुनातन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सर्वोत्तम पद्धतियों जो विशेषत: चीन, जापान आदि जैसे उग्रणी एशियाई देशों में अपनाई जा रही हैं, को दृष्टिगत करते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा हेतु पूर्व सचिव (जल भूतल मंत्रालय) और विशिष्ट अध्येता (टेरी), श्री एस. सुंदर की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया । समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2011 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ।

4.7 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए एक विधेयक 4 मई, 2010 को लोक सभा में पेश किया गया था जिसे जांच के लिए विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट सभापति, राज्य सभा को 21 जुलाई, 2010 को प्रस्तुत कर दी है । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

4.8 मंत्रालय ने माल वाहकों के लिए 8 मई, 2010 से एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली शुरू की है । नई व्यवस्था के अनुसार, देश भर में वाहन के प्रचालन को अधिकृत करते हुए 15,000/- रू. प्रति वर्ष प्रति ट्रक की समेकित फीस के भुगतान पर गृह राज्य द्वारा राष्ट्रीय परमिट प्रदान किया जा सकता है । इस समय, ट्रांसपोर्टर इस धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखा में जमा कर सकते हैं । सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एक वेब-पोर्टल के माध्यम से नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रूप में 15 सितंबर, 2010 से लागू करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं । नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को राज्यों के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात् तैयार किया गया है । राज्यों और ट्रांसपोर्टरों दोनों के द्वारा इस नई प्रणाली का स्वागत किया गया है तथा देश में वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना है ।

4.9 माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता में संसद सौध, नई दिल्ली में दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को परिवहन विकास परिषद् की 33वीं बैठक हुई थी । परिषद् ने राष्ट्रीय

परमिट और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के लिए नई सम्मिश्र फीस शुरू किए जाने पर विचार-विमर्श किया । सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार, सड़क सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू करने तथा यातायात संबंधी विभिन्न उल्लंघनों के संबंध में उद्गृहीत अर्थदंड से एक पृथक सड़क सुरक्षा निधि के सृजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के अनुरूप उचित कदम उठाने का आग्रह किया गया ।

4.10 विचाराधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया, हैदराबाद में राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों के लिए 20 कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य, राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों को सड़क परिवहन प्रबंधन और पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में नवीनतम घटनाओं/स्थिति के बारे में जानकारी देना है ।

4.11 मंत्रालय ने जीपीएस/जीएसएम आधारित वाहन खोज प्रणाली शुरू किए जाने, कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक टिकट बिक्री मशीन आदि जैसी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु एक योजना तैयार की है । इस योजना को 15 मार्च, 2010 से प्रभावी बनाया गया है । कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को संस्वीकृत कर दिया गया है ।

4.12 मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर 10 राज्यों में 10 स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना किए जाने की एक योजना शुरू की है । ये केन्द्र, वैज्ञानिक पद्धति से विभिन्न अभिनिर्धारित मानदंडों की जांच के पश्चात् परिवहन वाहनों की सड़क संचलन उपयुक्तता की जांच के तकनीकी केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे । मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे संबंधित राज्यों से अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है । छिंदवाड़ा में ऐसे एक केन्द्र को पहले ही संस्वीकृत कर दिया गया है । हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से भी प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें अनुमोदित कर दिया गया है ।

सड़क सुरक्षा

4.13 श्री एस. सुन्दर, पूर्व सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में 'सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन' पर गठित समिति ने सरकार के विचारार्थ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति तैयार करके संस्तुत की । मंत्रालय ने इस नीति को स्वीकृत किए जाने के लिए अनुमोदन दे दिया है । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा मुद्दों के बारे में जागरूकता पर अधिक बल दिए जाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना किए जाने, ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाए जाने, सड़क सुरक्षा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन आदि की परिकल्पना की गई है । इस नीति में देश में सड़क सुरक्षा कार्यकलापों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित निकाय की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है । राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए एक विधेयक 4 मई, 2010 को लोक सभा में पेश किया गया था जिसे जांच के लिए विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया

था । समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा के सभापति को 21 जुलाई, 2010 को प्रस्तुत कर दी है । समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

4.14 यह मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सड़क सुरक्षा नीतियां तैयार करता है । सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार की गई और प्रबंधित महत्वपूर्ण स्कीमों में प्रचार कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना और असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा उपस्कर प्रदान किया जाना आदि शामिल हैं ।

4.15 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप शुरु किए गए -

- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन, एनएफडीसी तथा व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट मीडिया में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया । कलैंडर, पोस्टर, सड़क चिह्नों पर पुस्तक, सीडी आदि प्रचार सामग्री, बड़े पैमाने पर वितरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के परिवहन एवं पुलिस प्राधिकारियों तथा स्कूलों को भी भेजी गई ।
- राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, वाहन विनिर्माताओं, राज्य सड़क परिवहन निगमों आदि के सहयोग से देश भर में 01 से 07 जनवरी, 2011 तक 22वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया । इस बार इसका विषय था - "सड़क सुरक्षा एक मिशन है – इंटरमिशन नहीं" ।
- मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत दुर्घटना स्थल को निर्बाध करने और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान की जाती हैं । अभी तक 377 क्रेन, लघु/मध्यम आकार की 70 क्रेन और 509 एम्बुलेंस संस्वीकृत की गई हैं । वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दस टन क्षमता वाली 40 केन और मध्यम/लघु आकर की 36 क्रेन प्रदान किए जाने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है । राष्ट्रीय राजमार्गो पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित अस्पतालों को भी 70 एम्बुलेंस प्रदान की जा रही हैं ।

अध्याय - V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5.1 यह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान देता रहा है और कुल आबंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाता है । सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8480 कि.मी. है और इनका विकास और अनुरक्षण कार्य तीन एजेंसियों-राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । 8480 कि.मी. की कुल लंबाई में से लगभग 1885 कि.मी. सीमा सड़क संगठन के पास है और 5642 कि.मी. संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के पास है । शेष 953 कि.मी. लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है ।

5.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके विकास और वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i)	एन एच डी पी चरण -III के अंतर्गत लंबाई -	110 किमी.
(ii)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों की लंबाई -	
	चरण 'क'	4099 किमी.
	चरण 'ख'	3723 किमी.
	सड़कों और राजमार्गों का अरुणाचल प्रदेश पैकेज	2319 किमी.

5.3 मेघालय राज्य (जोवाई-मेघालय/असम सीमा(रताचेरा) खंड) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की 110 किमी लंबाई, एन एच डी पी चरण-III के अंतर्गत है ।

5.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क, चरण-ख और अरुणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय सड़कों की लंबाई के राज्यवार ब्यौरे और सुपुर्दगी की विधि क्रमश: **अनुलग्नक -IV, अनुलग्नक-V और अनुलग्नक-VI** में दी गई है ।

5.5 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 303.19 करोड़ रुपए की लागत की 23 परियोजनाएं प्रगति पर हैं ।

5.6 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 883.81 करोड़ रुपए की धनराशि के 231 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5.7 राष्ट्रीय राजमार्ग(मूल) के अंतर्गत संस्वीकृत 1344 करोड़ रु. के 77 कार्य प्रगति पर हैं ।

5.8 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

अरूणाचल प्रदेश

5.9 सरकार ने 11703 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2319 किमी. सड़कों के विकास/सुधार कार्य शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज अनुमोदित किया गया है । 2319 किमी लंबाई में से 2180 किमी. लंबाई अरूणाचल प्रदेश राज्य में है ।

5.10 सरकार ने 94.82 करोड़ रुपए की लागत पर रारा 153 के किमी. 24/0 (जयरामपुर) से किमी. 56.485 (पांग्सु पास) तक जिसमें लगभग 32 किमी. लंबाई शामिल है, को 2 लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

5.11 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अभी तक 307.74 करोड़ रुपए के 53 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5.12 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क के अंतर्गत 113.80 करोड़ रुपए धनराशि के 6 कार्य प्रगति पर हैं ।

असम

5.13 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 581.96 करोड़ रुपए की धनराशि के 29 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.14 असम में लुमडिंग-डबोका-नगांव-गुवाहाटी से होकर सिलचर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 678 कि.मी. की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम महामार्ग के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है । असम में उदरबंद और हरंगजो की 31 कि.मी. लंबाई को छोड़कर जिसके पुनर्संरेखण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है, पूर्व-पश्चिम महामार्ग की संपूर्ण लंबाई का कार्य सौंप दिया गया और इसमें चार लेन बनाने का कार्य प्रगति के भिन्न-भिन्न चरणों में है । गुवाहाटी बाइपास के 18 किमी. में कार्य पूरा कर लिया गया है । उदरबंद और हरंगजो के मध्य 31 किमी. खंड को रारा (मूल) के अंतर्गत 51.61 करोड़ रु. की अनुमानित धनराशि से दो लेन में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है । यह कार्य प्रगति पर है ।

5.15 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 338.90 करोड़ रु. के 87 कार्य शुरू किए गए हैं ।

5.16 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 6.94 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्य प्रगति पर हैं ।

5.17 सरकार ने "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम " के चरण'क' के अंतर्गत रारा-52 में ब्रह्मपुत्र नदी पर नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाले 4 लेन के पुल का बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निर्माण सहित असम में नुमालीगढ़ से डिब्रुगढ़ (201 कि.मी.) तक

राष्ट्रीय राजमार्ग-37 को 4 लेन का बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के 1179 कि.मी. एकल लेन खंडों को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

5.18 सरकार ने 11703 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2319 किमी. सड़कों को शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया है । 2319 किमी लंबाई में से 139 किमी. लंबाई असम में है ।

मणिपुर

5.19 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, दो पुलों पर 11.93 करोड़ रुपए की लागत के कार्य सहित 208.30 करोड़ रु. लागत के 14 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

मेघालय

5.20 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, 266.75 करोड़ रुपए के 24 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.21 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, अब तक 110.73 करोड़ रुपए के 30 कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 4.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुल कार्य प्रगति पर है ।

मिजोरम

5.22 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, 140.47 करोड़ रुपए के 21 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.23 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 62.06 करोड़ रुपए की धनराशि के 26 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व स्कीम के अंतर्गत 28.26 करोड़ रुपए के दो कार्य प्रगति पर हैं ।

नगालैंड

5.24 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, 146.76 करोड़ रुपए के 9 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

सिक्किम

5.25 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 30.86 करोड़ रु. मूल्य के 26 कार्य शुरू किए गए हैं । अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 149.90 करोड़ रु. की लागत के 12 कार्य प्रगति पर हैं ।

त्रिपुरा

5.26 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 33.52 करोड़ रुपए के 9 कार्य शुरू किए गए हैं ।

अध्याय - VI

अनुसंधान और विकास

सड़क विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका, परियोजनाओं में प्रभावी गुणता नियंत्रण के लिए नवीन परीक्षण तकनीक और उपस्करों का प्रयोग शुरू करने, परियोजनाओं में अधुनातन निर्माण सामग्री अपना कर सड़क और पुल निर्माण कार्य के लिए विनिर्देशों को अद्यतन करने तथा राजमार्ग निर्माण और अनुरक्षण के लिए नई तकनीक की सिफारिश करने की है । देश में आधुनिक निर्माण मशीनरी की उपलब्धता को देखते हुए सड़क कार्यों के लिए विनिर्देशों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता है । निर्माण कार्य की गुणता की जांच के नए परीक्षण उपस्कर तीव्रता से कार्य करने वाले और विश्वसनीय हैं । उपस्करों को उपयोग में लाने से पूर्व इन्हें अंशांकित करने और समझने की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार, परियोजनाओं में नई सामग्री और निर्माण तकनीकों का प्रयोग करने से पूर्व इनका परीक्षण, प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन में किए जाने की आवश्यकता होती है । अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से ''भारतीय राजमार्ग में शोध'' डाइजेस्ट के प्रकाशन और इन निष्कर्षों को विभिन्न दिशा निर्देशों, पद्धति संहिता में शामिल करके, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन और इस मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों और अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है । मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर, प्रयोक्ता एजेंसियों/विभागों द्वारा अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं । इनमें सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन इंजीनियरी आदि क्षेत्र आते हैं । अनुसंधान कार्य, विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है । अनुसंधान कार्य देश में सड़क नेटवर्क के विकास में सहायता कर रहा है ।

6.2 वर्ष 2010-11 में अनुसंधान और विकास के लिए 600.00 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2010-11 के दौरान (31.12.2010 तक) अनुसंधान और विकास पर 57.00 लाख रु. का व्यय किया गया है ।

6.3 वर्ष 2010-11 में लगभग पूरी होने वाली अनुसंधान योजनाएं

- सड़क अवसंरचना पर अधिक भार लदान के प्रभाव पर प्रायोगिक अध्ययन ।
- मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और केन्द्र प्रायोजित सड़क और पुल परियोजनाओं पर जारी किए गए तकनीकी परिपत्रों और निदेशों का संकलन और प्रिंटिंग ।

6.4 चालू वर्ष में चल रही अनुसंधान परियोजनाएं :

सड़कें :

- प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा समर्थित इंस्ट्रुमेंटेशन का प्रयोग करके उच्च यातायात सघनता वाले कॉरीडोरों पर रिजिड पेवमेंट के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान व विकास अध्ययन करना ।

- शोधित बाइंडर के साथ बिटुमिनस मिश्रण के स्थलीय निष्पादन की जांच करना ।
- भूकंपीय तरंगों के उपयोग से पेवमेंटों की जांच करना ।
- कंपोजिट पेवमेंट के निर्माण के लिए मैन्युअल तैयार करना ।
- राजमार्ग इंजीनियरी में सोएल नेलिंग तकनीक संबंधी दिशा-निर्देश ।

पुल :

- सड़क और पुल कार्य 2001 के लिए मंत्रालय के विर्निदेशों का संशोधन (चतुर्थ संशोधन)
- सामान्य और उच्च निष्पादन कंक्रीट में एंटी कोरोसिव कोटिंग/स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ संरक्षित स्टील रिइन्फोर्समेंट के कोरिजन ससप्टीबल का अध्ययन
- सी आर आर आई में विस्तार जोड़ों की पूर्ण स्वतंत्र परीक्षण सुविधाओं की स्थापना ।
- कंकरीट पुलों के डिस्ट्रैस डायगनास्टिक (फ्यूजी आधरित) के लिए एक दक्ष प्रणाली का विकास
- संयुक्त पुलों (स्टील के गडर्र सहित) के लिए मानक रुपरेखा का विकास
- सड़क पुलों के खंड VI संयुक्त निर्माण सीमा स्टेट डिजाइन के लिए पद्धति संहिता और मानक विनिर्देशनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी का विकास (प्रथम संशोधन)
- पुलों के राफ्ट फाउंडेशन की डिजाइन के लिए हाइड्रोलिक मॉडल जांच
- पाइलों के लिए स्थिर और गतिशील भार लदान जांच
- कंक्रीट सड़क पुलों के लिए मानक विनिर्देशनों और पद्धति संहिता पर व्याख्यात्मक टिप्पणी (सीमा स्टेट प्रणाली)
- पुल आधारों के लिए पहुंचमार्गों में जियोग्रिड रीइनफोर्स्ड ग्रेनुलर बेड

यातायात और परिवहन :

- जी आई एस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग सूचना प्रणाली का विकास करना ।

6.5 विचाराधीन प्रस्ताव :

सड़कें

- अद्यतन रिपोर्टें जिनसे पैदलयात्रियों/अशक्त व्यक्तियों/यात्रियों के पिक अप बस स्टॉप, सौर प्रकाश व्यवस्था, आपदा प्रबंधन/आपातकालीन प्रतिक्रिया, पहाड़ी सड़कों में भू-स्खल/ढलान बचाव/जल-निकासी व्यवस्था, इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन (इटीसी), ध्वनि रोधक, टकराव रोधक बाधाएं/टकराव रोकने वाले अभिकल्प, सीसी कैमरे, मोटर रहित यातायात को बढ़ावा देते हुए सड़क सुरक्षा, नाजुक सड़क प्रयोक्ता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कार्बन क्रेडिट जेनरेशन सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा सकें ।
- सड़क निर्माण में अपशिष्ट और अतिरिक्त सामग्री का उपयोग ।
- पेवमेंट से जल निकासी के लिए विभिन्न प्रकार की किनारे की नालियों का अनुप्रयोग ।
- बिटुमिनस मिक्स के विनिर्देशों की समीक्षा ।
- 6 लेन/एक्सप्रेस मार्गों के लिए वाहन संचालन लागत ।
- रिजिड पेवमेंटों की जीवन चक्र लागत ।

- राजमार्ग क्षमता मैन्युअल ।
- जिओ-कंपोजिट, पोरस कंक्रीट आदि के साथ राजमार्ग जल-निकासी में सुधार ।
- गुणता सुधार के लिए तीव्र गति वाले/नुकसान रहित जांच उपस्कर ।
- राजमार्ग सेक्टर और यातायात गणना संबंधी अनुसंधान योजनाओं का डाटा संकलन ।

पुल :

- विभिन्न प्रकार की पुल अधिरचनाओं के लिए वियमान मानक डिजाइनों और योजनाओं में संशोधन ।

6.6 2009-10 के दौरान भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा पूर्ण किए गए दस्तावेज **।**

सड़कें :

- आई आर सी : 36-2010 'मिट्टी के तटबंध के निर्माण और सड़क कार्यों के लिए उप-ग्रेड हेतु संस्तुत प्रैक्टिस' (प्रथम संशोधन) ।
- आई आर सी: 90-2010 'बिटुमिनस हॉट मिक्स प्लांट के चयन, प्रचालन और रखरखाव के लिए लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संशोधन) ।
- आई आर सी: एस पी: 53-2010 'सड़क निर्माण में शोधित बिटुमन के उपयोग पर दिशा निर्देश' (द्वितीय संशोधन) ।
- आई आर सी: एस पी: 87-2010 'सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से राजमार्गों को 6 लेन का बनाए जाने के विनिर्देशों और मानकों का मैन्युअल' ।
- आई आर सी: एस पी: 89-2010 सीमेंट लाइम और फ्लाई ऐश का उपयोग करते हुए मिट्टी और ग्रेन्यूलर सामग्री स्थिरीकरण के लिए दिशा निर्देश' ।
- आई आर सी: एस पी: 90-2010 'ग्रेड सेपरेटर और उत्थापित संरचनाओं के लिए मैन्युअल' ।
- आई आर सी: एस पी: 91-2010 'सड़क सुरंगों के लिए दिशा निर्देश' ।
- आई आर सी: एस पी: 92-2010 'राजमार्ग सेक्टर में मानव संसाधन विकास के लिए रोड मैप' ।
- आई आर सी: एस पी: 74 में संवर्धन
- आई आर सी: एस पी: 15 कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए मानक विनिर्देश और प्रक्रिया संहिता (चौथा संशोधन) ।
- आई आर सी: एस पी: 34 'वॉटर लॉगिंग, फ्लडिंग और/अथवा साल्ट्स इनफेस्टेशन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए संस्तुतियां' (प्रथम संशोधन) ।
- आई आर सी: एस पी: 56 तटबंध की साज संभाल और भूक्षरण नियंत्रण के लिए सड़क किनारे ढलानों हेतु संस्तुत प्रक्रियाएं' (प्रथम संशोधन) ।
- राजमार्गों के रखरखाव के लिए आदर्श संविदा दस्तावेज ।
- राष्ट्रीय राजधानी (एनसीआर) में राजमार्ग क्षेत्र के लिए सामग्री जांच सुविधाओं संबंधी दस्तावेज ।
- सड़क सुरक्षा संपरीक्षा, भारतीय सड़क कांग्रेस : 6

- आई आर सी: एस पी: 83-2008 'सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के अनुरक्षण, मरम्मत और पुनरूद्धार के लिए दिशा निर्देश' ।
- आई आर सी: 44-2008 'पेवमेंटों के लिए सीमेंट कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए दिशा-निर्देश' ।
- आई आर सी: 12 का संशोधन 'मार्गस्थ पेट्रोल पंपों/ईंधन स्टेशनों और सर्विस स्टेशनों के पहुंच मार्गों, अवस्थिति और ले आउट के लिए दिशा-निर्देश' ।
- आई आर सी: 27 का संशोधन - 'बिटुमिन्स मैकाडैम के लिए विनिर्देश' ।
- 'डैन्स ग्रेडिड बिटुमिनस मिक्स के लिए विनिर्देश' ।
- आई आर सी: एस पी: 30 का संशोधन 'भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के आर्थिक मूल्यांकन संबंधी मैन्युअल'।
- आई आर सी: एस पी 2001 'भू-दृश्य निर्माण और वृक्षारोपण के लिए दिशा-निर्देश' ।
- आई आर सी: एस पी: 58-2001 के खंड सं. 1.2 और तालिका 4.6.1 में संशोधन 'सड़क तटबंधनों में फ्लाई ऐश के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश' ।
- सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश।
- पेवर फिनिशर के चयन, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए दिशा निर्देश ।

पुल :

- आई आर सी: एस पी: 37-2010 'पुलों की भार ढोने की क्षमता के लिए दिशा-निर्देश' ।
- आई आर सी 6-2000 का पांचवां संशोधन: 'सड़क पुल, भार और स्ट्रैसिस के लिए मानक विनिर्देशन और प्रक्रिया संहिता' खंड-।। ।
- कंक्रीट सड़क पुलों के लिए प्रक्रिया संहिता (सीमा स्टेट विधि) ।
- आई आर सी : एसपी :56 'पैदल यात्रियों के लिए इस्पात पुलों संबंधी दिशा निर्देश' (प्रथम संशोधन) ।
- आई आर सी : एसपी : 69 'एक्सपैंशन ज्वाइंट्स के लिए दिशा निर्देश और विनिर्देश' (प्रथम संशोधन) ।
- आई आर सी : एसपी : 87 'फॉर्म वर्क, फाल्स वर्क और अस्थायी संरचनाओं के लिए दिशा निर्देश' (प्रथम संशोधन) ।
- आई आर सी : 6 के विभिन्न खंडों में संशोधन ।
- आई आर सी: 78 के विभिन्न खंडों में संशोधन ।
- आई आर सी: 67 सड़क संकेत-'सड़क पर परिवर्तनीय सूचना चिन्हों के मेन्युअल संबंधी दिशा निर्देश' ।
- आई आर सी 24-2000 का संशोधन : 'सड़क पुलों, इस्पात पुलों के लिए मानक विनिर्देश और पद्धति संहिता (सीमा स्टेट विधि)' ।
- आई आर सी : एस पी: 65:2005 का संशोधन -'खंडीय पुलों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा निर्देश' । (इंडियन हाइवेज के दिसंबर, 2009 के अंक में अधिसूचित)
- आई आर सी: एसपी : 80-2008 का संशोधन 'कंक्रीट पुल अवसंरचनाओं में क्षरण रोकने, निगरानी और सुधारात्मक उपायों के लिए दिशा निर्देश (तालिका 6.6)' । (इंडियन हाइवेज के दिसंबर, 2009 के अंक में अधिसूचित)

अध्याय - VII

सीमा सड़क संगठन

7.1 सीमा सड़क संगठन, सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए कार्य करता है । इसने केवल दो परियोजनाओं अर्थात् पूर्व में परियोजना टस्कर (जिसका नाम बदल कर परियोजना 'वरतक' रखा गया) और पश्चिम में परियोजना 'बीकन' पर कार्य करने के साथ मई, 1960 में अपने प्रचालनों की शुरूआत की थी । यह आज बढ़कर 17 परियोजनाओं वाला कार्यपालक बल हो गया है ।

7.2 सीमा सड़क संगठन ने न केवल उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के साथ जोड़ा है बल्कि इसने बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना का भी विकास किया है । इसके अलावा, इस संगठन को तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार जैसे देशों में सड़कों, हवाई क्षेत्रों आदि का निर्माण कार्य सौंपा गया है । सीमा सड़क संगठन ने अफगानिस्तान में कई विषमताओं और व्याप्त विद्रोह के बावजूद 215 किमी. डेलाराम-जरंग सड़क कार्य पूरा किया है ।

सीमा सड़क संगठन के कार्य

7.3 सीमा सड़क संगठन को रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जनरल स्टाफ सड़कों के रूप में वर्गीकृत सीमा क्षेत्र सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है । जनरल स्टाफ सड़कों का विकास और अनुरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है ।

7.4 जनरल स्टाफ सड़कों के अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्य भी करता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य अर्द्ध-सरकारी संगठनों द्वारा सौंपे गए कार्य, डिपोजिट कार्यों के रूप में किए जाते हैं ।

7.5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- इस संगठन की विविध क्षमताओं को देखते हुए 1355.82 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 8.80 कि.मी. लंबी रोहतांग सुरंग, इसके प्रवेश द्वारों के लिए पहुंच सड़क तथा लेह के लिए 292 कि.मी. लंबे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य सौंपा गया; इससे संगठन को एक नई पहचान मिली है । निर्माण कार्यों में अभी तक लक्ष्यों के अनुसार प्रगति हुई है । रोहतांग सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार की पहुंच सड़क की लंबाई 11.750 कि.मी. और उत्तरी प्रवेश द्वार की पहुँच सड़क की लंबाई 0.975 कि.मी. है । सुरंग का निर्माण कार्य 5 नवंबर, 2009 को शुरू हुआ और वर्तमान प्रगति 18.90% है । सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख (पीडीसी) 2014-15 है ।

- सीमा सड़क संगठन को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर जम्मू से विजयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के एक खंड को चार लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है । इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 83.88 करोड़ रु. थी और विचलन आदेश के कारण इस परियोजना की संशोधित लागत 101.48 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई । निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख (पीडीसी) का विस्तार मार्च, 2011 तक मांगा गया है ।

- "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-'क' का कुछ कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है । इस कार्य में एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार करने का कार्य शामिल है । 2013-14 में परियोजना पूर्णता तिथि के साथ चरण 'क' के अंतर्गत 3870 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 1103.58 कि.मी. सड़कों को चौड़ा करने और चरण 'ख' के अंतर्गत 8500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1883 किमी लंबी सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य, सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए हैं । ये कार्य वर्ष 2006-07 में शुरू हो चुके हैं । सीमा सड़क संगठन को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 'अरूणाचल प्रदेश सडक एवं राजमार्ग पैकेज' के अंतर्गत 4060 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 812 किमी लंबी सड़क का दो लेन निर्माण/सुधार कार्य भी सौंपा गया है ।

- प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 94 किमी. लंबी श्रीनगर-उरी (राष्ट्रीय राजमार्ग-1ए) सड़क, 17.25 किमी. लंबी उरी-एल ओ सी सड़क का उन्नयन कार्य, 265 किमी. लंबी बटोटे-किश्तवाड़-अनंतनाग (राष्ट्रीय राजमार्ग-1बी) को दो लेन का बनाने, 422 किमी. लंबी श्रीनगर-लेह सड़क वाया कारगिल (राष्ट्रीय राजमार्ग-1डी) को दो लेन का बनाने, 290 किमी. लंबी नीमू-पदम-डारचा सड़क का निर्माण और 14.14 कि.मी. लंबी डोमेल-कटरा (राष्ट्रीय राजमार्ग-1सी) सड़क को चौड़ा करने का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है । इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2856.95 करोड़ रुपए है । इन कार्यों को वर्ष 2012 तक पूरा किया जाना है ।

- सीमा सड़क संगठन ने सितंबर, 2008 में मेघालय में सोनपुर के नजदीक रारा-44 के किमी. 141.80 पर 120 मीटर लंबी कट और कवर सुरंग की बेजोड़ संरचना पूरी की है । इससे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कछार क्षेत्रों के अग्रवर्ती इलाकों के लिए मानसून के दौरान सोनपुर लैंड-स्लाइड क्षेत्र में निर्बाध संचार लाइन सुकर हो जाएगी । रारा-52 पर 763.50 मी. लंबे पासीघाट पुल का कार्य 2010-11 में पूरा हो गया है । जम्मू व कश्मीर में रारा-1 पर जोजिला (किमी 94.00 से किमी 118.00) और जैड मोड़ (किमी 77.50 से किमी 80.20) में क्रमश: 12 किमी और 3.1 किमी लंबी सुरंग का साध्यता अध्ययन शुरू कर दिया गया है ।

अध्याय- VIII

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कार्यान्वयन व्यवस्था

8.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में उप-निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं । राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है ।

हिन्दी सलाहकार समिति

8.2 हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन पर सक्रिय कार्रवाई चल रही है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

8.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 05 जुलाई, 2010 और 27 सितंबर, 2010 को हुई थीं । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

8.4 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं ।

8.5 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों ।

8.6 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

हिन्दी भाषा/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

8.7 कुल 21 टंककों (लिपिकों) में से 18 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं और कुल 110 आशुलिपिकों में से 87 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं ।

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

8.8 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है । इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2009-10 के लिए इस योजना के अधीन प्राप्त प्रविष्टियों पर कार्रवाई करने के बाद एक कर्मचारी को नकद पुरस्कार दिया गया ।

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

8.9 हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2010 को मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा जारी की गई अपील पढ़ी गई । मंत्रालय में 16 सितंबर, 2010 से 29 सितंबर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, संघ की राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता, विभागीय ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिता और आशु भाषण प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । ये प्रतियोगिताएं हिन्दी भाषी और हिन्दी इतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग-अलग आयोजित की गईं । मंत्रालय में दिनांक 27.09.2010 और 28.10.2010 को दो कार्यशालाएं क्रमश: 'हिन्दी में काम काज कैसे करें' और 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें' भी आयोजित की गईं । माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री ने दिनांक 30 सितंबर, 2010 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए ।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

8.10 मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है । कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं ।

निरीक्षण और निगरानी

8.11 राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2009-10 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में हुई प्रगति का आकलन करने, राजभाषा नीति के अनुपालन और वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से हिन्दी अनुभाग की ओर से निरीक्षण किए गए । मंत्रालय के दो कार्यालयों अर्थात् द्वारका स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नोएडा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण दिनांक 4 फरवरी, 2010 और 8 फरवरी, 2010 को किया गया । इस निरीक्षण के दौरान इन कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के स्थिति की समीक्षा की गई और उनके दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए गए । वर्ष के दौरान विभाग के 11 अनुभागों का निरीक्षण भी किया गया ।

मूल रूप से हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

8.12 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 में एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी । वर्ष 2009 के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक, योजना के निर्धारित मानदंड पूरे नहीं कर सकी; इसलिए इस वर्ष के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया ।

पथ भारती

8.13 मंत्रालय के कार्यकलापों का प्रचार-प्रसार करने और मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए **'पथ भारती'** नाम से एक गृह पत्रिका जून, 2007 से प्रकाशित की जा रही है । इस पत्रिका में मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विषयों, राजभाषा नीति, साहित्यिक लेख और सम-सामयिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं । **'पथ भारती'** का पांचवां अंक सितंबर, 2010 में प्रकाशित किया गया । **'पथ भारती'** के छठे अंक के लिए प्रविष्टियां प्राप्त की जा रही हैं ।

अध्याय - IX

प्रशासन एवं वित्त

9.1 प्रशासन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रशासनिक प्रभाग, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और स्टाफ के कार्मिक मामलों को देखता है । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रशासनिक प्रभाग दो पक्षों में विभाजित है - इनमें से एक पक्ष अखिल भारतीय सेवा, सीएसएस, सीएससीएस और जीसीएस से संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों तथा अन्य पक्ष, तकनीकी अधिकारियों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को देखता है । पहले पक्ष के प्रमुख संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन) हैं और दूसरे पक्ष के प्रमुख संयुक्त सचिव (राजमार्ग) हैं । संयुक्त सचिव (परिवहन एवं प्रशासन) की सहायता के लिए उप-सचिव (स्थापना) और अवर सचिव (स्थापना-I) हैं । संयुक्त सचिव (राजमार्ग) की सहायता के लिए उप-सचिव (प्रशासन) और अवर सचिव (स्थापना-II) हैं ।

9.2 स्थापना पक्ष मंत्रालय को स्थापना और अवसंरचना सहायता प्रदान करता है । प्रशासिनक सुविधा के लिए, इस पक्ष को चार अनुभागों अर्थात् स्थापना-I, स्थापना-Iबी, स्थापना-II और स्थापना-IIबी में बांटा गया है ।

9.3 **स्थापना-I** : यह अनुभाग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अखिल भारतीय सेवाओं, सचिवालयी अधिकारियों और गैर तकनीकी स्टाफ के कार्मिक मामलों के प्रशासन को देखता है ।

9.4 **स्थापना-I(बी)** : यह अनुभाग वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/आशुलिपिक ग्रेड-'सी'/आशुलिपिक ग्रेड-'डी' (सीएसएसएस संवर्ग) के सेवा संबंधी मामलों और समूह 'घ' कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों को देखता है । स्थापना समन्वय से संबंधित कार्य और सचिवालयी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) का रखरखाव भी स्थापना-Iबी अनुभाग द्वारा किया जाता है ।

9.5 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है । मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास किए जाते हैं । सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अ.जा. एवं अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक- VII** में दिया गया है ।

9.6 विचाराधीन वर्ष के दौरान, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक पद्धति लागू करने की परियोजना से संबंधित कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए शुरू किया गया । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमानों के संशोधन के कारण बकाया राशि की दूसरी किस्त जारी किए जाने से

संबंधित कार्य शुरू किया गया और गत वर्ष के दौरान जारी वेतन निर्धारण आदेशों और विचाराधीन वर्ष के दौरान जारी आदेशों की उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा का संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया । वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कर्मचारियों को दूसरी किस्त जारी की गई । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्रानुक्रम स्थानांतरण किए गए । संशोधित एसीपी योजना (एमएसीपी) के अंतर्गत योग्य कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर विचार करने के लिए संवीक्षा समिति की बैठकें की गईं ।

9.7 **स्थापना-।।** : स्थापना-।। अनुभाग, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के संवर्ग प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है । यह अनुभाग देश के विभिन्न भागों में स्थित 22 क्षेत्रीय कार्यालयों/इंजीनियरी संपर्क कार्यालयों के समूह 'ग' और समूह 'घ' के गैर-तकनीकी स्टाफ के सेवा संबंधी कार्य को भी देखता है । स्थापना-।। अनुभाग के कार्यों में शामिल है :

I. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' का संवर्ग प्रबंधन
II. पदों का सृजन एवं उन्मूलन
III. प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण के लिए नीतियां बनाना और इनका कार्यान्वयन
IV. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करना और तत्संबंधी कार्यान्वयन
V. वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नतियां करना
VI. अधिकारियों का डाटाबेस तैयार करना और उसका अनुरक्षण
VII. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा संवर्ग से संबंधित न्यायिक मामले

9.8 वर्ष 2010511 के दौरान, 15 कार्यकारी अभियंताओं को कार्यकारी अभियंता (एनएफएसजी) के पद पर पदोन्नत किया गया । वर्ष 2010 में अनुभाग द्वारा 10 न्यायिक मामले भी देखे गए हैं/देखे जा रहे हैं ।

वित्त

9.9 वित्त पक्ष के प्रमुख अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं । उनके काम में निदेशक (वित्त) और सहायक वित्तीय सलाहकार मदद करते हैं ।

9.10 एकीकृत वित्त पक्ष की योजना के अनुसार, वित्तीय सलाहकार का कार्य प्रशासनिक विभाग से संबंधित है और वे प्रशासनिक विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न मामलों में वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं । वे मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों की योजना बनाने, कार्यक्रम निर्धारण करने, बजट बनाने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन करने से संबंधित सभी कार्यों के निर्वहन में अपना योगदान देते हैं ।

वित्तीय सलाहकार के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

i. बजट मामलों के संबंध में विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए परिवहन एवं पर्यटन विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति और वित्त मंत्रालय को सामग्री उपलब्ध कराने में समन्वय करना ।

ii. उन सभी परियोजनओं जिन पर लोक निवेश बोर्ड (पी. आई. बी.) के स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित लोक निवेश बोर्ड की बैठक से पूर्व होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करना ।

iii. व्यय वित्त समिति/लोक निवेश बोर्ड/सार्वजनिक निजी भागीदारी मुल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली समिति को ईएफसी प्रस्तावों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करना ।

iv. मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न प्रशासनिक पक्षों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों और स्कीमों को सहमति देने सहित वित्तीय सलाह प्रदान करना ।

v. पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने में आवश्यक सहयोग देना ।

vi. इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का आकलन करना ।

vii. विभिन्न स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बजट प्रस्तावों की जांच करना तथा उनकी विधीक्षा करना ।

viii. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, सड़क और परिवहन क्षेत्र से संबंधित लगभग 5500 प्रस्तावों की जांच/स्वीकृति/विधीक्षा की गई ।

ix. आउटकम/डिलीवरी इकाई लागत का विशिष्ट मूल्यांकन स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करते हुए, परिणामी बजटों की तैयारी में सक्रिय रूप से सहयोग करना, विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ मापने योग्य और निगरानी योग्य परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, उचित मूल्यांकन, कार्यान्वयन/डिलीवरी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियों और निश्चित परिणामों की वास्तविक उपलब्धि सुनिश्चित कराना।

x. कार्य निष्पादन बजटों को तैयार करने में सक्रिय रूप से समन्वय करना ।

xi. संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए राजकोषीय स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री के लिए तिमाही समीक्षा हेतु अपेक्षित सूचना और सामग्री प्रदान करना ।

xii. सड़क क्षेत्र में इष्टतम निजी क्षेत्र निवेश और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रणनीति तैयार करने में मंत्रालय की सक्रिय रूप से सहायता करना । यदि प्रति किमी लागत, अनुमानित लागत से अधिक हो तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किए जाने से पहले अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, प्राक्कलन लागत समिति की बैठक भी लेते हैं ।

xiii. निधियों को स्कीम वार/परियोजना वार/कार्य निष्पादनों से जोड़ कर निधियों को जारी करने के साथ-साथ व्यय प्रबंधन सुनिश्चित करना ।

xiv. बाजार रुख और अन्य क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में विभिन्न गैर कर राजस्व आय की आवधिक समीक्षा करना तथा नियोजित सार्वजनिक संसाधनों से तर्कसंगत आय के बारे में सरकार को सुविचारित टिप्पणियां और सिफारिशें करना ।

xv. परिसंपत्तियों और देयताओं पर निगरानी रखना तथा निरंतर आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

xvi. जीरो आधारित बजट विधि के आधार पर योजना स्कीमों की समीक्षा करना ताकि उनमें इष्टतम व्यय हो सके ।

xvii. योजनागत परियोजनाओं तथा पहले से जारी अन्य योजनागत स्कीमों की प्रगति/कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना ।

xviii. वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करना, मितव्ययिता उपायों को लागू करना तथा सभी प्रस्तावों की वित्तीय व्यावहारिकता का आकलन करना ।

xix. लेखा परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों/समीक्षाओं, ड्राफ्ट ऑडिट पैराओं आदि के निपटान पर निगरानी रखना और लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा विनियोजन लेखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करना ।

xx. वित्त मंत्रालय को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों की छानबीन करना ।

9.11 वित्त संबंधी सलाह देने के अलावा, वित्तीय सलाहकार के निम्न कार्य भी हैं:-

i. यह सुनिश्चित करना कि इस मंत्रालय द्वारा बजट को तैयार करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन हो और वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही बजट तैयार हो ।

ii. वित्त मंत्रालय को बजट प्रस्तावों को भेजे जाने से पूर्व उनकी जांच करना ।

iii. यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखे, सामान्य वित्तीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जाएं।

iv. संस्वीकृत अनुदानों की तुलना में व्यय की प्रगति की समीक्षा करना और उनकी मॉनीटरिंग करना ।

अध्याय-X

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

101. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है । चुने गए/नामित नि:शक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है । 30 नवंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में स्थिति नीचे दी गई है:-

तकनीकी

समूह	संस्वीकृत कार्यबल	नियुक्त किए गए नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या
क	208	-
ख	81	01
ग	07	-

गैर तकनीकी

समूह	संस्वीकृत कार्यबल	नियुक्त किए गए नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या
क	49	01 (एचवी श्रेणी)
ख	235	01 (वीएच श्रेणी)
ग	231	02 (वीएच श्रेणी)
घ	144	01 (ओएच श्रेणी)

अध्याय - XI

सतर्कता

11.1 मंत्रालय की सर्तकता यूनिट, मंत्रालय के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । इस यूनिट के प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । संयुक्त सचिव (परिवहन व सामान्य) इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की गई है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसमें पृथक से एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है ।

11.2 वर्ष 2010-11 के दौरान, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई (यथा अपेक्षा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से) करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने की शक्तियों का प्रत्यायोजन, लोक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना और जनता के साथ कामकाज में पारदर्शिता लाना शामिल है ।

11.3 मंत्रालय में 25 अक्टूबर- 01 नवंबर, 2010 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को सचिव द्वारा शपथ दिलाई गई । सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान 'विलंब से भ्रष्टाचार पनपता है' और 'भ्रष्टाचार के विरोध में कर्मचारियों की भूमिका' विषयों पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

अध्याय - XII

संगठन एवं पद्धति और लोक शिकायत निवारण

12.1 मंत्रालय की संगठन एवं पद्धति यूनिट, कार्यालय पद्धति मैन्युअल के कार्यान्वयन, लोक शिकायत, नागरिक चार्टर, इंडक्शन सामग्री और अभिलेख प्रबंधन से संबंधित कार्य देखती है ।

12.2 मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ-साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है । इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है । जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और निपटान हेतु भेज दिया जाता है ।

12.3 संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है । उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है । प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है । एक वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है । 1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 तक की अवधि के दौरान कुल 927 लोक शिकायतें प्राप्त हुई और सभी मामले, निपटाने के लिए विभिन्न संबंधित एजेंसियों को पहले ही भेज दिए गए हैं ।

12.4 मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है । शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां भी प्राप्त करने के लिए उप-सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है । इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (प्रशासन) भी लोक सुनवाई के लिए एक पखवाड़े में 2 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं ।

12.5 मंत्रालय के कार्य और मंत्रालय के संपर्क अधिकारियों तथा इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के शिकायत निदेशकों के ब्यौरों के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को अद्यतन बनाने/संशोधित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

12.6 अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जाता है । 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी अभिलेखों को स्थायी रूप से संभले जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिया जाता है । 1 अप्रैल, 2010 से लेकर 31 दिसंबर, 2010 तक के दौरान, 2025 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय-तालिका के अनुसार 3470 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया ।

अध्याय - XIII

विभागीय लेखाकरण संगठन और रूपरेखा

लेखा और बजट

13.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखाकरण प्रधिकारी हैं । वह अपने कार्यों का निर्वहन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट पक्ष, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं । प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है । मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट, केन्द्रीय लेन-देनों का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है ।

13.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, दो उप-लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं । बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं । इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप-लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं । मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में नौ भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं । हाल ही में प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया लागू करने के लिए भोपाल और हैदराबाद में भी दो नए क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

13.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार है :-

भुगतान

1. अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना ।
2. अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों, एसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना ।
3. मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना ।

प्राप्तियां

1. मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना ।
2. राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी की मॉनिटरिंग करना ।

लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष वार तथा चरण वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना ।
2. कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करना ।
3. आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना।
4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना ।
5. विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना ।
6. मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।
7. बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना ।
8. मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के फ्लेश आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना ।
9. पीएओ/आरपीओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर एमडीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना ।
10. संसदीय स्थायी समिति के लिए संक्षिप्त सूचना तैयार करना ।
11. 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' के संबंध में उत्तरों को तैयार करना ।

बजट

1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विनियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।
2. वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना ।

3. सी एण्ड ए जी ऑफ इंडिया (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा और एटीएन नोट भी तैयार करना ।
4. समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखों के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना ।

आंतरिक लेखा परीक्षा

1. मंत्रालय के सभी पक्षों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाईयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना ।
2. लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियों की मॉनीटरिंग और निपटान ।
3. मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक काय्र अध्ययन और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वय करना ।
4. आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना ।

लेखों का कंप्यूटरीकरण

13.4 इन कार्यों को करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जिनसे मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समग्र कारगरता और दक्षता में बहुत अधिक सहायता मिली है । लेखों के संकलन में होने वाले विलंब को दूर करने और व्यय लेखों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इस समय कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, ई-लेखा आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेअर पैकेजों को लागू किया जा रहा है ।

13.5 कंप्यूटरीकृत लेखाकरण (कॉम्पेक्ट) :

व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसमें प्री-चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन, संकलन और नई पेंशन योजना जैसे मुख्य लेखांकन कार्य सहित सभी मुख्य लेखांकन प्रकार्य शामिल हैं और इस सॉफ्टवेयर को सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया गया । इससे न केवल अति कुशल भुगतान प्रणाली तैयार होने और लेखा तैयार करने में समय पालन की स्थिति बनी है अपितु सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आई है ।

13.6 कांन्टेक्ट:

मासिक लेखों के संकलन के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है । प्रत्येक महीने, विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा तैयार की जाती है और सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्यय विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है । इसमें व्यय का मुख्य शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्व मदों का शीर्ष वार

प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती हैं ।

13.7 **ई-लेखा** :

यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा व्यय लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआईएस तैयार किया जाता है । सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को वेब आधारित लेखा पोर्टल, ई-लेखा से पूर्णत: एकीकृत कर दिया गया है । उनको अपना दैनिक लेन-देन इस पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित होता है ताकि व्यय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध रहे । इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समयाधरित-डाटा उपलब्ध हो जाता है जो व्यय/प्राप्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और बजटीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है । इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय टूल हैं और इनका उपयोग, मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है ।

अध्याय - XIV

विविध

परिवहन अनुसंधान पक्ष

14.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को अनुसंधान सामग्री, विश्लेषण तथा डाटा सहायता प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, यह पक्ष, सड़क परिवहन क्षेत्र के नीति नियोजन, समन्वय और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है ।

14.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़कों, सड़क परिवहन और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, प्रसार और विश्लेषण करता है । इसके लिए यह पक्ष, विभिन्न स्रोतों अर्थात् केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा एकत्रित करता है । विविध स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच सुसंगति तथा तुलनीयता की दृष्टि से की जाती है और उसकी अभिपुष्टि की जाती है तथा परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए तिमाही और वार्षिक प्रकाशनों में समेकित की जाती है । परिहवन अनुसंधान पक्ष डाटाबेस बनाने और उसे सुदृढ़ करने, डाटा अंतरालों का पता लगाने तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में डाटा की विश्वसनीयता और विशुद्धता में सुधार लाने के लिए उपाय करता है ।

14.3 सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित एक ऐसे प्रकाशन की आवश्यकता महसूस हुई जो विषय वस्तु में व्यापक और विश्लेषणात्मक दोनों हो । इस उद्देश्य से, पूर्ववर्ती प्रकाशन 'भारत की मोटर परिवहन सांख्यिकी' के स्थान पर 'सड़क परिवहन वार्षिकी 2003-04' के शीर्षक से एक नया प्रकाशन वर्ष 2005 में शुरु किया गया । इस प्रकाशन में विभिन्न मोटर परिवहन मापदंडों संबंधी डाटा के अलावा सड़क परिवहन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, यातायात के इंटरमॉडल शेयर, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान आदि पर सूचनाएं शामिल हैं । 'सड़क परिवहन वार्षिकी 2006-07' प्रकाशन का तीसरा अंक मार्च, 2009 में निकाला गया । इस प्रकाशन के अगले अंक के लिए सामग्री संकलित की जा रही है और राज्य परिवहन आयुक्तों तथा अन्य संगठनों से डाटा एकत्र किया जा रहा है ।

14.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन के आकलन और उस पर निगरानी रखने के लिए, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करता है । यह सूचना तिमाही आधार पर 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' में प्रकाशित की जाती है । राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय दोनों कार्य-निष्पादनों पर निगरानी रखने वाला यह प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के गिने-चुने प्रकाशनों में से एक है । चालू वर्ष 2010-11 के दौरान,

'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा-यात्री सेवाएं (अप्रैल, 2008-मार्च, 2009)' नामक एक वार्षिक प्रकाशन मई, 2010 में जारी किया गया था । इस प्रकाशन का अगला वार्षिक अंक अभी तैयार किया जा रहा है ।

14.5 भारत का ''बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स'' एक अग्रणी राष्ट्रीय प्रकाशन है जो देश में सड़क नेटवर्क पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है । इस प्रकाशन के लिए केन्द्र, राज्यों और स्थानीय स्तरों पर फैली लगभग 280 स्रोत एजेंसियों से डाटा एकत्र किया जाता है । परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा इस प्रकार एकत्र डाटा का फिर मिलान, समेकन और विश्लेषण किया जाता है । डाटा समाशोधन, तुलनीय समय श्रृंखला आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाता है । बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स का नवीनतम अंक मार्च 2005; मार्च 2006; मार्च 2007 और मार्च 2008 में समाप्त हुए वर्षों के आंकड़ों को शामिल करते हुए जुलाई, 2010 में जारी किया गया था ।

14.6 देश के दुर्घटना सूचना डाटा सिस्टम में सुधार के लिए, यूनेस्केप द्वारा प्रायोजित एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना चल रही है । इस परियोजना के लिए, देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 23 महानगरों के सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का, विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फार्मेट में संग्रहण, संकलन और मिलान किया जाता है । परिवहन अनुसंधान विंग में, 19 मद वाले फॉर्मेट में एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर भारत में दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण और समीक्षा की जाती है । "भारत में सड़क दुर्घटनाएं : 2004" प्रकाशन के माध्यम से वर्ष 2006 में प्रकाशित प्रथम अंक में आंकड़ों का विस्तृत विश्लेशण शामिल किया गया था । 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं : 2008' का नवीनतम अंक परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा मार्च, 2010 में निकाला गया जिसमें वर्ष 2008 से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण दिया गया है । अगला अंक 'भारत में सड़क दुर्घटना 2009' जिसमें कलैण्डर वर्ष 2009 के आंकड़ों को शामिल किया गया है, अभी तैयार किया जा रहा है।

14.7 परिवहन अनुसंधान पक्ष ने देश में राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाए जाने के लिए संबंधित मुद्दों और रीतियों की जांच के लिए गठित कोर ग्रुप के कार्य में भी सहायता प्रदान की । इसके अलावा, परिवहन अनुसंधान पक्ष ने नई राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत प्राप्त समेकित फीस के कुल संग्रहण को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच वितरण के लिए फार्मूले पर पहुँचने में भी मंत्रालय को परामर्श दिया ।

14.8 राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) ने सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) की अध्यक्षता में सड़कों संबंधी एक कार्यकारी समूह गठित किया है । इस कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक के बाद, सड़कों संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना सुकर बनाने के लिए विभिन्न उप-समूहों का गठन किया गया है । सड़कों संबंधी कार्यकारी समूह के लिए सलाहकार (टीआर) संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं । सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और डाटा तथा आईटी विषयों संबंधी उप-समूहों के कार्यों में परिवहन अनुसंधान पक्ष के अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हैं । परिवहन अनुसंधान पक्ष, सार्वजनिक परिवहन और डाटा तथा आई टी विषयों संबंधी अंतिम दो उप समूहों में भी अपनी सेवाएं दे रहा है ।

14.9 परिवहन अनुसंधान पक्ष, मंत्रालय की सहायता के लिए परिवहन से जुड़े ऐसे शोध अध्ययनों पर भी अपनी तकनीकी टिप्पणी देता है जो नीति निर्माण के लिए उपयोगी हों । सड़क परिवहन क्षेत्र में शोध अध्ययनों के चयन में तकनीकी सलाहकार का काम भी परिवहन अनुसंधान पक्ष करता है ।

14.10 परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा संकलित आंकड़ों से स्पष्ट, भारत में सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- अवधि (वर्ष 1991 से 2006) के दौरान पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या में लगभग 10% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर देखी गई, यह वृद्धि विभिन्न श्रेणियों के वाहनों में अलग-अलग है ।
- 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, भारत में 89.6 मिलियन से अधिक वाहन पंजीकृत थे । इनमें से सबसे बड़ी संख्या 64.7 मिलियन से अधिक (72% से अधिक हिस्सा) दुपहिया वाहनों की थी (तालिका 1 देखें)
- कलैंडर वर्ष 2008 में, 4,84,704 सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो वर्ष 2007 में रिपोर्ट की गई 4,79,216 सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में 1.1% अधिक थी ।
- वर्ष 2007 में रिकार्ड किए गए आंकड़ों की तुलना में 1.9% और 4.7% वृद्धि के साथ वर्ष 2008 में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए और मरने वालों की संख्या क्रमश: 5,23,,193 और 1,19,860 थी (तालिका 2 देखें)
- वर्ष 2001-02 से 2008-09 के दौरान मुख्य वित्तीय एवं भौतिक मानदंडों के अनुसार राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्य निष्पादन तालिका 3 में देखा जा सकता है ।
- हाल ही के वर्षों में सड़क लंबाई (कुल और पक्की) का श्रेणीवार ब्यौरा तालिका 4 में दिया गया है ।

तालिका 1 : भारत में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या - 2001-2006 (हजार में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	सभी वाहन	दुपहिया	कार, जीप और टैक्सी	बसें @	मालवाहक वाहन	अन्य*
1	2	3	4	5	6	7
2001	54991	38556	7058	634	2948	5795
2002	58924	41581	7613	635	2974	6121
2003	67007	47519	8599	721	3492	6676
2004	72718	51922	9451	768	3749	6828
2005	81501	58799	10320	892	4031	7457
2006	89618	64743	11526	992	4436	7921

* : अन्य में शामिल हैं - ट्रैक्टर, टेलर, तिपहया (यात्री वाहन)/हल्के मोटर यान तथा विविध वाहन जिन्हें अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है ।

@ : इसमें ओमनी बसें शामिल हैं

तालिका 2: 2001 - 2008 तक दुर्घटनाओं की संख्या और इनमें शामिल व्यक्तियों की संख्या					
वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या		दुर्घटना की गंभीरता*
	कुल	घातक	मारे गए	घायल	
2001	405637	71219 (17.6)	80888	405216	19.9
2002	407497	73650 (18.1)	84674	408711	20.8
2003	406726	73589 (18.1)	85998	435122	21.1
2004	429910	79357 (18.5)	92618	464521	21.5
2005	439255	83491(19.0)	94968	465282	21.6
2006	460920	93917(20.4)	105749	496481	22.9
2007	479216	101161(21.1)	114444	513340	23.8
2008	484704	106591(22.0)	119860	523193	24.7
स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सूचना/ कोष्ठक के अंदर दिए गए आंकड़े, कुल दुर्घटनाओं में से घातक दुर्घटनाओं (मृत्यु सहित) की संख्या का हिस्सा दर्शाते हैं ।					
* दुर्घटना की गंभीरता : प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या					

तालिका 3 : 2001-02 से 2008-09 के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कार्य निष्पादन								
चुनिंदा मापदंड	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की संख्या	42	43	43	36	36	32	36	37
बेड़ा उपयोग दर %	90.7	92.2	92.8	92.3	91.9	92.2	92.4	92.3
अधिभोग अनुपात (%)	62.7	63.5	61.6	64.7	65.9	67.9	68.8	69.9
स्टाफ संख्या (सं.)	687297	627491	574446	690793	644837	639732	672151	677087
स्टाफ बस अनुपात	6.7	6.4	5.9	6.3	5.8	5.9	5.9	5.8
वाहन उत्पादकता (किमी/बस/दिन)	292	298	304	306	306	314	319	321
स्टाफ उत्पादकता (किमी/स्टाफ/दिन)	43.8	46.5	51.4	48.6	52.8	53.0	53.9	55.8
कुल राजस्व (करोड़ रु.)	14222	14817	15542	18618	20016	21722	23619	25582
कुल लागत (करोड़ रु.)	15979	16250	16697	20701	22701	23753	25600	28719
शुद्ध लाभ/हानि (करोड़ रु.)	-1757	-1433	-1155	-2083	-2685	-2031	-1981	-3137
राजस्व/किमी (रु.)	13.0	13.9	14.4	15.2	16.1	17.6	17.8	18.5
लागत/किमी (रु.)	14.6	15.2	15.5	16.9	18.3	19.2	19.3	20.8
शुद्ध हानि/किमी (रु.)	-1.6	-1.3	-1.1	-1.7	-2.2	-1.6	-1.5	-2.3

तालिका 4 : भारत में श्रेणीवार कुल सड़क लंबाई और पक्की सड़कों की लंबाई

लंबाई किमी में (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

	कुल/ पक्की	2004	2005	2006	2007	2008
राष्ट्रीय राजमार्ग	टी	65569	65569	66590	66590	66754#
	एस	65358	65358	66590	66590	66754
राज्यीय राजमार्ग	टी	133177	144396	148090	152235	154522
	एस	131262	142898	146325	150713	152738
अन्य पी. डब्ल्यू. डी. सड़कें	टी	719257	786230	803669	835003	863241
	एस	597866	643705	664652	689935	719383
ग्रामीण सड़कें *	टी	2140569	2386722	2431404	2517631	2577396
	एस	678533	733092	766434	813994	864477
अन्य सड़कें **	टी	562935	546522	554177	569085	574516
	एस	287749	261576	266791	276091	286930
संपूर्ण भारत	टी	3621507	3929439	4003930	4140544	4236429
	एस	1760768	1846629	1910792	1997323	2090282

* 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सड़कों में पंचायती राज सड़कें और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें और वर्ष 2000 से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें शामिल हैं ।

** अन्य सड़कों में शहरी सड़कें और परियोजना सड़कें शामिल हैं ।

31.3.2010 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत कुल सड़क लंबाई 70,934 किमी है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

14.11 सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना, नागरिकों को प्रदान करने/सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुकर करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने का है । सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग स्थापित किए गए हैं ।

14.12 सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अनुभाग, जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था की गई है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा जनता को इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वत: सूचना दी जा रही है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 में

प्रदत्त छूटों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम में उल्लिखित निर्धारित समय में आवेदक/जनता को सूचना प्रदान की जा रही है और सूचना न देने के कारण जहां आवश्यक हों, बताए जाते हैं ।

14.13 मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन दोनों संगठनों अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एक स्वायत्त निकाय और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी एक सोसायटी, ने आवेदकों/जनता को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा निर्देशित अपने अलग-अलग जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं ।

14.14 इस मंत्रालय को मोटर यान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाइओवर, पुल, टोल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क की वसूली, पेट्रोल पंपों की स्थापना, टेण्डर आदि से संबंधित आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे हैं । संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा इन सब का शीघ्रता से उत्तर दिया जा रहा है ।

14.15 दिसंबर, 2010 तक, 483 आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त हुए । अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 57 आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किए जाने के अलावा सभी आवेदन पत्रों और अपीलों का निपटान किया गया ।

अनुलग्नक- I

देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222 और 234	4537
2	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार और 37 विस्तार	1992
3	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62,151,152,153 और 154	2836
4	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	3642
5	चंडीगढ़	21	24
6	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200,202, 216, 217, 111, और 221	2184
7	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80
8	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9	गुजरात	एनई-I, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59, 113 और 228	3245
10	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए , 71बी, 236 और एनई-II	1518
11	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88 और 73ए	1409
12	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी और 1डी	1245
13	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 और 100	1805
14	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207,209, 212, 218 और 234	4396
15	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213, और 220	1457
16	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी 27, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86 और 92	5027
17	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 204, 211 और 222	4191
18	मणिपुर	39, 53, 150 और 155	959
19	मेघालय	40, 44, 51 और 62	810
20	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	927
21	नगालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	3704
23	पुदुच्चेरी	45ए और 66	53
24	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1557

25	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 71बी, 76, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114 और 116	5585
26	सिक्किम	31ए	62
27	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230 और 234	4832
28	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी,73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	2042
30	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93 ,96, 97 , 119, 231, 232, 232ए 233, 235 और एनई-II	6774
31	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी विस्तार, 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81 और 117	2578
32	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300
		जोड़	70934

अनुलग्नक-II

एनएचडीपी चरण-VII

स्टैंड अलोन रिंग रोड़ों, बाइपासों, उत्थापित सड़कों, ग्रेड सेपरेटिड चौराहों और फ्लाइओवरों के लिए शहरों की अंनंतिम सूची

क्र.सं.	शहरी परियोजना का नाम
1	हैदराबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
2	तिरूनेलवेल्ली के लिए रिंग रोड/बाइपास
3	कानपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
4	रा.रा. - 75 पर रांची में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाइओवर
5	तिरूचिरापल्ली के लिए रिंग रोड/बाइपास
6	नासिक के लिए रिंग रोड/बाइपास
7	रारा-9 और रारा-211 के जंक्शन पर शोलापुर में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/फ्लाइओवर
8	चेन्नै के लिए रिंग रोड/बाइपास
9	जयपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
10	अमृतसर के लिए रिंग रोड/बाइपास
11	रारा-211 और रारा-222 पर पाडलसिंगि और गांधी में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/ फ्लाइओवर
12	मदुरै के लिए रिंग रोड/बाइपास
13	पटना के लिए रिंग रोड/बाइपास
14	तिरुवनंतपुरम के लिए रिंग रोड/बाइपास
15	सूरत के लिए रिंग रोड/बाइपास
16	अलीगढ़ के लिए रिंग रोड/बाइपास
17	बंगलौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
18	रारा-50 और रारा-222 के जंक्शन पर ऐलीफाटा में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन/ फ्लाइओवर
19	अहमदाबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
20	विशाखापत्तनम के लिए रिंग रोड/बाइपास
21	जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए रिंग रोड/बाइपास
22	कोलकाता के लिए रिंग रोड/बाइपास
23	चेन्नै पत्तन के लिए उत्थापित लिंक रोड
24	मेरठ के लिए रिंग रोड/बाइपास
25	कोयम्बटूर के लिए रिंग रोड/बाइपास
26	भोपाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
27	सलेम के लिए रिंग रोड/बाइपास
28	नागपुर के लिए रिंग रोड/बाइपास
29	इंदौर के लिए रिंग रोड/बाइपास
30	लखनऊ के लिए रिंग रोड/बाइपास
31	इम्फाल के लिए रिंग रोड/बाइपास
32	पुणे के लिए रिंग रोड/बाइपास
33	वाराणसी के लिए रिंग रोड/बाइपास
34	धनबाद के लिए रिंग रोड/बाइपास
35	रांची के लिए रिंग रोड/बाइपास
36	रा.रा. - 17 और रारा-204 के जंक्शन पर रत्नागिरि में ग्रेड सेपरेटिड इंटरसेक्शन / फ्लाइओवर

अनुलग्नक-III

वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार अनंतिम आबंटन का ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास		अनुरक्षण
		रारा(मूल)	पीबीएफएफ	
1	आंध्र प्रदेश	255.00	6.40	117.45
2	अरुणाचल प्रदेश	7.00		25.87
3	असम	172.00	3.18	92.15
4	बिहार	166.00	5.04	129.93
5	चंडीगढ़	11.00		0.66
6	छत्तीसगढ़	51.00	3.78	35.02
7	दिल्ली	60.00		0.77
8	गोवा	22.50		4.65
9	गुजरात	85.50	2.47	112.32
10	हरियाणा	145.00		34.78
11	हिमाचल प्रदेश	86.00		47.45
12	झारखंड	120.00		39.12
13	कर्नाटक	234.00	3.41	87.56
14	केरल	55.00	18.02	62.41
15	मध्य प्रदेश	90.00	28.61	64.44
16	महाराष्ट्र	230.00	10.10	145.25
17	मणिपुर	45.00	0.17	31.41
18	मेघालय	65.00	1.05	59.98
19	मिजोरम	43.00		54.93
20	नगालैंड	47.00		43.68
21	ओडिशा	221.00	1.32	88.47
22	पुदुच्चेरी	5.00		2.90
23	पंजाब	170.00	1.13	34.42
24	राजस्थान	110.00	4.36	127.37
25	तमिलनाडु	142.00	3.33	62.62
26	उत्तर प्रदेश	430.00	20.12	146.28
27	उत्तराखंड	100.00	1.79	85.08
28	पश्चिम बंगाल	97.00		72.59
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.00		3.68

अनुलग्नक IV

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कार्य की व्याप्ति	सड़क की श्रेणी	सड़क लंबाई (कि.मी.में)
1	असम	नगांव से डिब्रूगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के मौजूदा 2 लेन को 4 लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	301
2	मेघालय	रा.रा. 40 और रारा-44 को जोड़ने वाले नए शिलौंग बाइपास का निर्माण (2 लेन) (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	50
3	मेघालय	रारा-40 पर जोरबाट से बारापानी तक के मौजूदा 2 लेन खंड को चार लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	62
4	नगालैंड	रारा-39 पर दीमापुर/कोहिमा बाइपास सहित दीमापुर से कोहिमा तक सड़क को चार लेन का बनाना (बीओटी(वार्षिकी))	रा.रा.	81
5	असम	सिलचर बाइपास सहित रा.रा. 36, 51, 52, 53, 54, 61, 152, 153 और 154 के मौजूदा एकल सड़क खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	576
6	मणिपुर/मेघालय/ मिजोरम व असम	मेघालय में जोवाई बाइपास सहित रा.रा. 44, 53, 54 और 154 को 2 लेन का बनाना	रा.रा.	180
7	मेघालय	शिलौंग शहर में रारा-40 के विद्यमान दो लेन के बारापानी - शिलौंग खंड तथा उपरिपुलों का सुधार करना	रा.रा.	54
8	असम और अरुणाचल प्रदेश	डिब्रूगढ़ से रुपाई तक रा.रा. 37 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्संरेखण और सुधार और स्टिलवेल सड़क का सुधार और रारा-38 को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाना	रा.रा.	161
9	त्रिपुरा	अगरतला से सबरुम तक रारा-44 को दो लेन का बनाना	रा.रा.	130
10	असम और अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर के लिए 4 लेन का सड़क संपर्क	37ए, 52 और 52ए	150
11	असम	रारा-37 पर 2 लेन का डिब्रुगढ़ बाइपास (ईपीसी आधार पर)	रारा	14
12	सिक्किम/पश्चिम बंगाल	गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग		242
13	मणिपुर/नगालैंड	मणिपुर राज्य को नगालैंड राज्य के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए मारम से पारेन की राज्यीय सड़क को दो लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	116
14	अरुणाचल प्रदेश	दुदुनघर से होते हुए लुमला से ताशिगोंग तक सड़क का सुधार(भारत-भूटान सड़क)	राज्यीय सड़क	36
15	सिक्किम	गंगटोक से नाथुला तक मौजूदा एकल लेन की सीमा सड़क को दोहरी लेन का बनाना	जी एस सड़क	87
16	अरुणाचल प्रदेश	तालिहा-टाटो और मिगिंग बाइल इंटर बेसिन सडकों को 2 लेन का बनाना/सुधार	राज्यीय सड़क	176
17	मिजोरम	मिजोरम में कलादान बहुमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना को समर्थन देने के लिए लांगतलई से म्यांमार सीमा तक 2 लेन के नये राजमार्ग का निर्माण	राज्यीय सड़क	100
18	सिकिकम/ पश्चिम बंगाल	सिवोक से रानीपुल तक रारा-31ए को दो लेन के मानकों के अनुरूप बनाना	रा.रा.	80

19	मेघालय	नांगस्टोइन-शिलोंग खंड को 2 लेन का बनाया जाना	रारा 44ई	83
20	मिजोरम	किमी 11.500 - किमी 130 तक दो लेन बनाया जाना/पुनर्संरेखण	रारा-44ए	119
21	असम	गोलाघाट-रंगाजन सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	7
22	असम	लुमडिंग - दिफू - मांजा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	56
23	असम	हाफलौंग-जतिंगा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	8
24	असम	धुबरी-गौरीपुर सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	8.5
25	असम	बस्का- बमरा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	25
26	असम	मोरीगांव-जागी सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	23
27	असम	बरपेटा-हावली सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	12
28	असम	गोलपाड़ा-सोलमाड़ी सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	6.5
29	असम	कोकराझार-कारीगांव सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	18
30	असम	उदलगिरि-रावता सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	13
31	मणिपुर	तमेंगलोंग-क को दो लेन का बनाया जानाखोनसांग सड़	राज्यीय सड़क	40
32	मणिपुर	पल्लेल-चंदेल सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	18
33	नगालैंड	लोंगलेंग - चांगतोंग्या सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	35
34	नगालैंड	मोन-तामलू-मेरांगकोंग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	100
35	नगालैंड	फेक-फुटसिरो सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	79
36	सिक्किम	तारकु-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	32
37	सिक्किम	ग्यालशिंग - सिंगतम सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	85
38	त्रिपुरा	कैलाशहर- कुमारघाट सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	22
39	मेघालय	नांगस्टोइन-रांगजेंग-तुरा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	201
40	नगालैंड	जुन्हेबोटो-चकबामा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	जीएस सड़क	128
41	मेघालय	नांगस्टोइन-पेंब्रू-वहकाजी-मौथबा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	68
42	मेघालय	नोंगस्टोइन-राम्बरै-मयरसै-चैगांव सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	71
43	मेघालय	मौथबा-वहकाजी-फैंगडिलोइन-रानीकोर सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	47
44	मेघालय	रानीकोर-नोंघलैम-महेशखोला-बाघमारा सड़क का दो लेन में उन्नयन	राज्यीय सड़क	139
45	सिक्किम	मेली-मनपुर-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	33
46	सिक्किम	लेगशिप-नया बाजार सड़क को दो लेन का बनाया जाना	राज्यीय सड़क	26
		कुल जोड़		**4099**

अनुलग्नक V

अभी संशोधित चरण 'ख' के अंतर्गत सड़कों की सूची

क्र सं	सड़क की श्रेणी	सड़क की व्याप्ति/खंड	राज्य	अनंतिम लंबाई (किमी)
I. राष्ट्रीय राजमार्ग				
1	रारा- 62	वाया बाघमारा, असम/ मेघालय सीमा से डालू तक दो लेन बनाया जाना	मेघालय	161
2	रारा- 54	आइजोल-तुईपंग खंड दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	380
3	रारा-54ए	लुंगलेई- थेरीयट खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	9
4	रारा-54बी	जीरो प्वांइट से सेहा खंड को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	27
5	रारा- 61	वोखा (किमी 70) से तुली (किमी 220) तक के खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	150
6	रारा- 150	कोहिमा से नगालैंड/मणिपुर सीमा खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	132
7	रारा- 155	मोकोकचुंग से नाजेसामी खंड को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	340
8	रारा-44ए	मनु से त्रिपुरा/मिजोरम सीमा खंड को दो लेन बनाया जाना/पुन: संरेखण	त्रिपुरा	86
		जोड़ (I)		1285
II. राज्यीय सड़कें				
9	राज्यीय सड़क	हरंगजाओ- तुरूक होते हुए बराक घाटी (सिलचर) -गुवाहाटी सड़क के बीच वैकल्पिक मार्ग को दो लेन का बनाया जाना	असम	285
10	राज्यीय सड़क	विलियम नगर से नेंखरा सड़क और अन्य सड़क को दो लेन का बनाया जाना (14 और 8 किमी की संबंधित लंबाई के साथ दोतरफा संपर्क)	मेघालय	22
11	राज्यीय सड़क	दोमियासत एवं नांगस्टोइन के बीच सड़क को दो लेन का बनाया जाना/मरम्मत/उन्नयन	मेघालय	54
12	राज्यीय सड़क	बोको (गुवाहाटी को बाइपास करते हुए) से नांगस्टोइन तक दो लेन की वैकल्पिक सड़क का निर्माण	मेघालय	125
13	राज्यीय सड़क	लुंगलेई-दीमागिरि सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	92
14	राज्यीय सड़क	चंपई--थाउ सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	30
15	राज्यीय सड़क	फुटसिरो-झामई सड़क को दो लेन का बनाया	नगालैंड	18
16	राज्यीय सड़क	अथिबुंग--खेलमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	55
17	राज्यीय सड़क	पेरेन- कोहिमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना	नगालैंड	96
18	राज्यीय सड़क	कुकीताल से सबरूम तक सड़क का सुधार	त्रिपुरा	310
19	राज्यीय सड़क	रारा-39 पर शंक्षक (रारा-150 पर फिंच कॉर्नर के निकट) से तैंगनौपल तक की सड़क को 2 लेन का बनाया जाना	मणिपुर	202
		जोड़ (II)		1289
III. जीएस सड़कें				
20	जीएस सड़क	चंपई-सेलिंग सड़क को दो लेन का बनाया जाना	मिजोरम	150
21	जीएस सड़क	गंगटोक-मंगम सड़क को 2 लेन का बनाया जाना	सिक्किम	68
		जोड़ (III)		218

IV. सामरिक सड़कें				
22	भारत-म्यांमार सड़क	विजयनगर-मिआओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	157
23	भारत-म्यांमार सड़क	मिआओ-नमचिक सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	17
24	भारत-म्यांमार सड़क	चांगलांग से खिमियांग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	35
25	भारत-म्यांमार सड़क	खिमियांग से सांगकुहावी सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	33
26	भारत-म्यांमार सड़क	सांगकुहावी-लाजू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	40
27	भारत-म्यांमार सड़क	लाजू-वाक्का सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	75
28	भारत-म्यांमार सड़क	वाक्का-खानू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	21
29	भारत-म्यांमार सड़क	खानू-कोणसा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	30
30	भारत-म्यांमार सड़क	कोणसा-पंचाओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	29
31	भारत-म्यांमार सड़क	पंचाओ-नगालैंड सीमा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	25
32	राज्यीय सड़क	यिंगकियांग से बिशिंग (पोरगो वाया गिट्टे-पुगिंग-लिकोर-पालिंग-जीदो) सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	160
33	राज्यीय सड़क	जीदो-सिंघा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	94
34	राज्यीय सड़क	पांगो-जोरगिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया	अरुणाचल प्रदेश	90
35	राज्यीय सड़क	सरकम प्वांइट सिंगा वाया इको--डोम्पिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाया जाना	अरुणाचल प्रदेश	125
		जोड़ (IV)		931
		जोड़ (I+II+III+IV)		3723

अनुलग्नक VI

सड़कों एवं राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज का ब्यौरा और सुपुर्दगी का तरीका

क. दो लेन बनाए जाने के लिए ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पैकेज के अंतर्गत शामिल सड़कें

क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**	**सुपुर्दगी का तरीका**
1	नेचीपू-सेप्पा सड़क रारा-229	99	वार्षिकी
2	सेप्पा-खोदासो- रारा-229	110	वार्षिकी
3	खोदासो-खील-होज रारा 229, वाया सगाली	102	वार्षिकी
4	होज-पोतिन- रारा-229	20	ईपीसी
5	पोतिन-याजिल-जिरो रारा-229	71	वार्षिकी
6	जिरो - दोपोरिजो रारा-229	160	वार्षिकी
7	दापोरिजो-बामे रारा-229	108	वार्षिकी
8	बामे -आलो रारा-229	42	वार्षिकी
9	आलो-पांगिन रारा-229	26	वार्षिकी
10	पांगिन-पासीघाट रारा-229	84	ईपीसी
11	पासीघाट से महादेवपुर रारा-52		
	(i) अलुबारीघाट में बड़े पुल को शामिल करते हुए दिगरू से चौखाम तक पुनर्संरेखण के विकल्प के साथ सड़कों को जोड़ने वाला देवांग घाटी का बड़ा पुल	30	वार्षिकी
	(ii) उपर्युक्त (i) में शामिल लंबाई को छोड़ने के पश्चात् शेष खंडों को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना	140	ईपीसी
12	महादेवपुर - बोरदुमसा - नामचिक - जैरमपुर - मम्माओ रारा-52बी	97	ईपीसी
13	मम्माओ - चंगलांग	42	ईपीसी
14	चंगलांग-खोनसा रारा 52बी	67	ईपीसी
15	खोनसा- रारा तीसा 52बी	48	ईपीसी
16	तिस्सा-लोंगडिंग-कानुबाड़ी रारा 52बी	80	ईपीसी
17	कानुबाड़ी-बिमलापुर रारा 52बी	16	ईपीसी
18	रारा 52बी असम में बिमलापुर से रारा-37 के लिंक तक	70	ईपीसी
	जोड़ (क)	1412	

ख. रारा 37 और रारा 52 का मिसिंग लिंक			
क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**	**सुपुर्दगी का तरीका**
1	रारा 37 पर धोला और सादियाघाट के बीच का मिसिंग पुल और इसके पहुंच मार्ग	28	वार्षिकी
2	सादिया और शांतिपुर होते हुए, इस्लामपुर तिनाली से रोइंग तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना	32	ईपीसी
	जोड़ (ख)	60	
ग. अरुणाचल प्रदेश के 5 जिला मुख्यालय शहरों को दो लेन का सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु राज्यीय सड़कों को दो लेन के मानकों के अनुरूप बनाया जाना			
क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**	**सुपुर्दगी का तरीका**
1	कोलोरियांग-जोरम सड़क	158	ईपीसी
2	यिंगकियांग-मारीयुंग-पासीघाट सड़क	140	ईपीसी
3	अनिनी-मेका सड़क	235	ईपीसी
4	हवाई-हवा कैम्प सड़क	165	ईपीसी
5	हौज- यूपिया-पप्पू सड़क	35	ईपीसी
6	बामे-लेकाबाली-अकजान सड़क	114	ईपीसी
	जोड़ (ग)	847	
	कुल जोड़ (क + ख + ग)	2319	

अनुलग्नक VII

सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति और जन जातिओं की संख्याओं को दर्शाने वाला विवरण

तकनीकी

समूह	स्वीकृत कार्य बल	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	तैनात कुल कर्मचारियों में %	अ. ज. जा.	तैनात कुल कर्मचारियों में %
समूह क	227	167	25	14.97	11	06.59
समूह ख	81	56	12	21.42	04	7.14
समूह ग	07	04	01	25.00	0	0
जोड़	315	227	38	16.7	15	6.6

गैर-तकनीकी

समूह	स्वीकृत कार्य बल	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	तैनात कुल कर्मचारियों में %	अ. ज. जा.	तैनात कुल कर्मचारियों में %
समूह क	49	41	05	12.19	03	07.31
समूह ख	235	220	29	13.18	10	4.54
समूह ग	231	153	34	22.22	05	3.2
समूह घ	180	159	56	35.2	09	5.6
जोड़	695	573	124	21.6	27	4.7

अनुलग्नक VIII

<u>महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सारांश</u>

वर्ष	उन पैराओं/पीए रिपोर्टों की संख्या जिनकी की गई कार्रवाई' नोटों की रिपार्ट लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षित करवाकर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई है	उन पैरा/पी ए रिपोर्टों का ब्यौरा जिनकी 'की गई कार्रवाई' नोट लंबित है ।		
		मंत्रालय द्वारा पहली बार भी न भेजे गए 'की गई कार्रवाई' नोटों' की संख्या	उन 'की गई कार्रवाई' नोटों' की संख्या जो भेजे तो गए किंतु टिप्प्णियों के साथ वापस लौटाए गए और लेखा परीक्षा, उन्हें मंत्रालय द्वारा पुन: प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन 'की गई कार्रवाई' नोटों' की संख्या जिनका अंतत: लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किया गया परन्तु मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया है
2004-05		1		
2006			1	
2008		1	2	
2009-10			2	
2010-11	7		3	

अनुलग्नक IX

<u>केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णयों/आदेशों</u>

<u>के कार्यान्वयन से संबंधित विवरण</u>

क्र सं.	कैट मामले, ओ ए संख्या और तारीख	क्या कैट के निर्णय को लागू किया गया	क्या कैट के निर्णय के संबंध में उच्च न्यायालय में अपील की गई ? यदि हां, तो		टिप्पणी
			क्या कैट के निर्णय की पुष्टि की गई	क्या कैट का निर्णय रद्द कर दिया गया	
1	2	3	4	5	6
2	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुलग्नक X

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 2009-2010

मुख्य लेखा बिंदु

(हजार रुपए)

	प्राप्तियां			संवितरण	
		धनराशि			धनराशि
क.	**राजस्व प्राप्तियां**			**राजस्व व्यय**	
1	**कर राजस्व**	99,38,01		**सामान्य सेवा**	7,58,22
2	गैर-कर राजस्व			सामाजिक सेवा	1,30,28
	ब्याज प्राप्तियां	1,64,89,57		आर्थिक सेवा	105,74,80,47
	अन्य गैर-कर राजस्व	1,32,11,63			
	कुल गैर-कर राजस्व	2,97,01,20			
	कुल राजस्व प्राप्तियां	3,96,39,21		**कुल राजस्व व्यय**	1,05,83,68,97
ख.	पूंजीगत प्राप्तियां			पूंजीगत व्यय	
	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	1,21,85,00		आर्थिक सेवा	49,22,53,69
	राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	17,46,00		ऋण तथा अग्रिम	68,17,32
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	63,68			
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	1,39,94,68		**कुल पूंजीगत व्यय**	49,90,71,01
भारत की कुल समेकित निधि		5,36,33,89		**भारत की कुल समेकित निधि**	1,55,74,39,98
	लोक लेखा			**लोक लेखा**	
	लघु बचत भविष्य निधि खाता			**लघु बचत भविष्य निधि खाता**	
	भविष्य निधि	13,42,42		भविष्य निधि	6,09,45
	अन्य लेखे	6,13		अन्य लेखे	13,75
	आरक्षित निधियां			**आरक्षित निधियां**	
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	94,65,15,00		ब्याज रहित आरक्षित निधियां	89,43,97,76
	जमा एवं अग्रिम			**जमा एवं अग्रिम**	
	ब्याज युक्त जमा	10		ब्याज युक्त जमा	0
	ब्याज रहित जमा	3,98,33,56		ब्याज रहित जमा	3,91,35,26
	अग्रिम	32		अग्रिम	0
	उचंत एवं विविध			**उचंत एवं विविध**	
	उचंत	-97,69,31		उचंत	-2,74,90,19
	अन्य लेखे	1,68,65,16,97		अन्य लेखे	25,39,73,07
	कुल लोक लेखे	2,66,44,45,19		**कुल लोक लेखे**	1,16,06,39,10
	कुल प्राप्तियां	2,71,80,79,08		**कुल प्राप्तियां**	2,71,80,79,08

अनुलग्नक XI

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन-देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत

(करोड़ रूपए)

मद/वर्ष	2007-08	2008-09	2009-2010
कर राजस्व	45.05	72.95	99.38
गैर-कर राजस्व	314.77	329.46	297.01
सकल राजस्व प्राप्तियां	359.82	402.41	396.39

अनुलग्नक XII

गत तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

	मुख्य शीर्ष	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1	0021 - निगम कर के से भिन्न आय पर कर	45.05	72.95	99.38
2	0045 - वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0.00	0.00	0.00
3	0049 - ब्याज की प्राप्तियां	201.10	214.37	166.84
4	0050 - लाभांश एवं लाभ	0.00	0.00	0.00
5	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
6	0071 - पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0.36	0.36	0.30
7	0075 - विविध सामान्य सेवाएं	1.59	1.43	1.80
8	0210 - चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	0.09	0.09	0.19
9	0216 - आवास	0.10	0.10	0.10
10	0852 - परिवहन उपस्कर सेवाएं	0.00	0.00	0.00
11	1054 - सड़कें एवं पुल	111.51	112.94	127.77
12	1055 - सड़क परिवहन	0.01	0.10	0.001
13	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.01	0.07	0.08
	जोड़	**359.82**	**402.41**	**396.39**

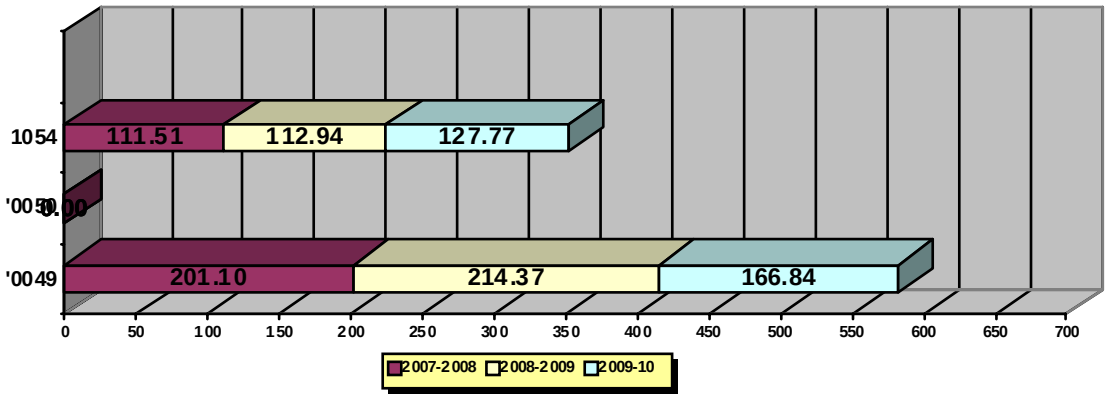

अनुलग्नक XIII

गत तीन वर्षों की पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-2009	2009-10
1	7075- अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	861.74	583.50	121.85
2	7601- राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	17.45	17.58	17.46
3	7602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को ऋण तथा अग्रिम	-	-	-
4	7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.58	0.65	0.64
कुल जोड़		**879.77**	**601.73**	**139.95**

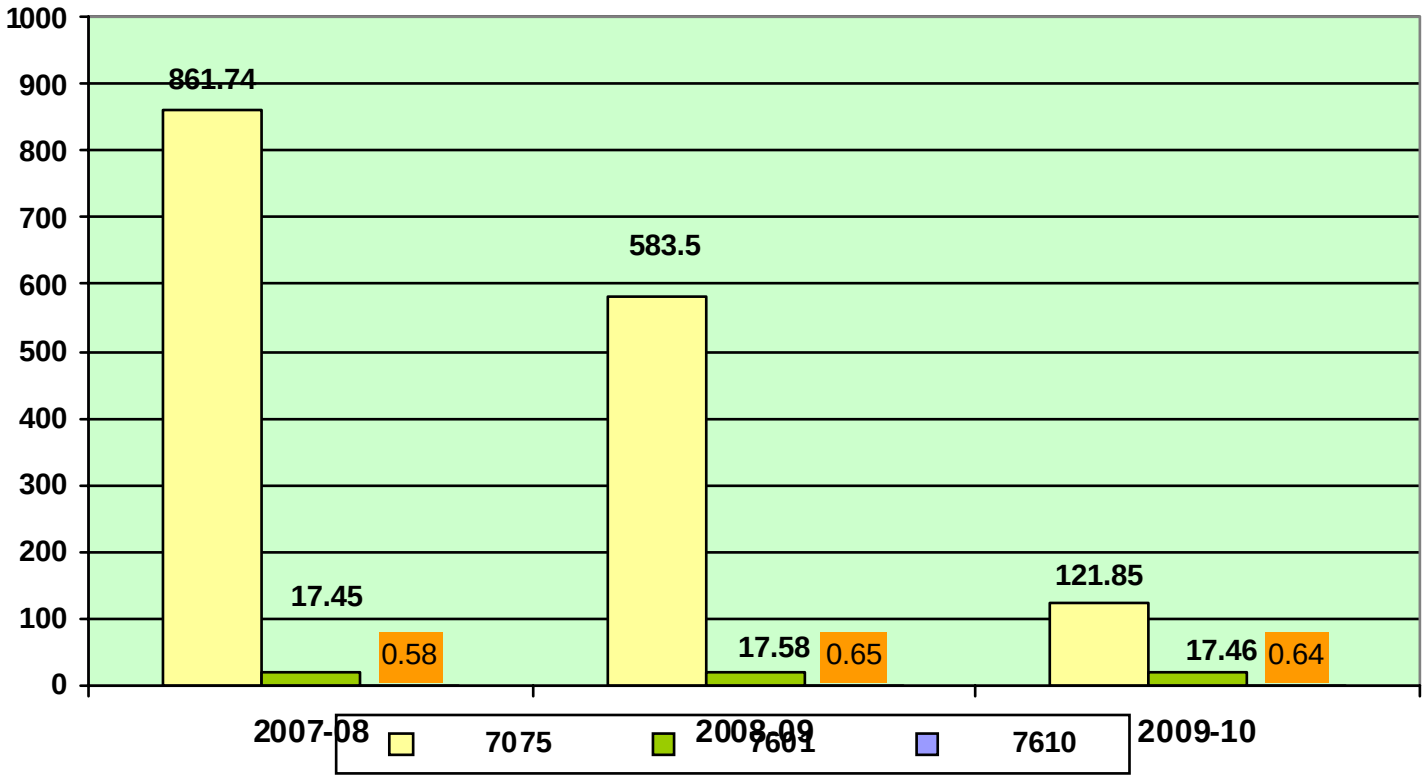

स्रोत : केन्द्रीय लेन-देनों का विवरण

अनुलग्नक XIV

राजस्व व्यय में प्रवृत्ति

(*करोड़ रूपए*))

वर्ष	2007-08	2008-2009	2009-10
राजस्व व्यय	11830.70	13753.69	13796.82

अनुलग्नक XV

बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की वर्ष-वार प्रवृत्ति

(*करोड़ रूपए*)

अनुदान का नाम	2007-08		2008-09		2009-2010	
	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक
अनुदान सं. 87 सड़कें	24848.27	24336.34	27831.63	27255.47	32748.18	27968.67
स्रोत: विनियोजन लेखे						

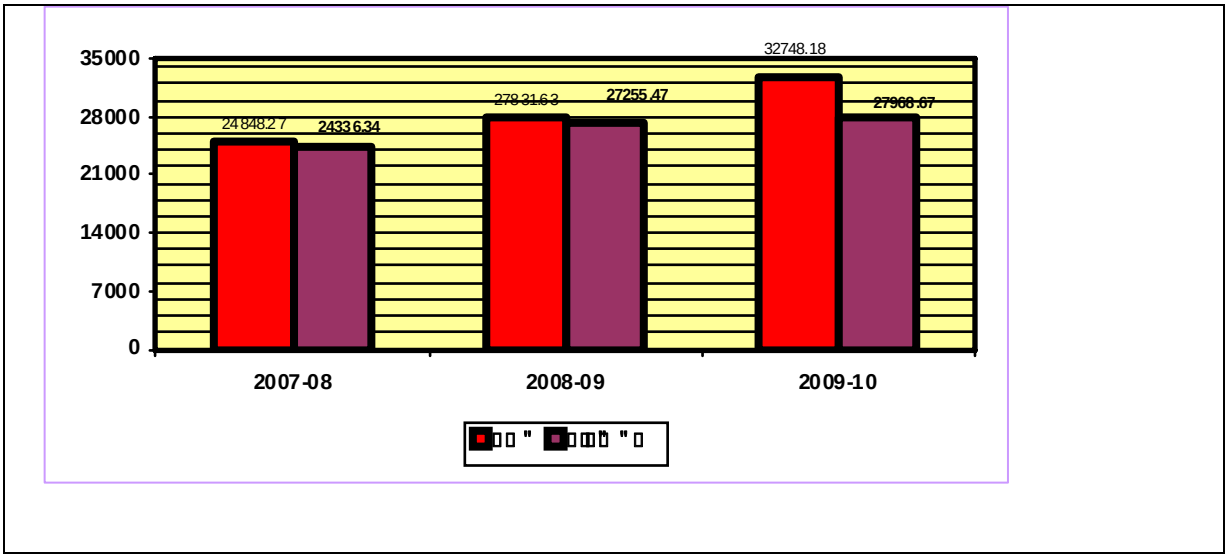

अनुलग्नक XVI

विनियोजन लेखे 2009-10 का ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

बजट प्रावधान	32748.18
वास्तविक व्यय	27968.67
बचत	6621.20
अभ्यर्पण	4320.46
अनभ्यर्पित बचत	2300.74

अनुलग्नक XVII

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुदान

(करोड़ रूपए)

अनुदान संख्या और नाम		बजट प्राक्कलन	अनुपूरक	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण
अनुदान सं.87	राजस्व लेखा	16896.55	0.01	16896.56	13796.82	309.97	2539.92
	पूंजी लेखा	15851.62	311.00	16162.62	14171.85	1990.77	1780.54
जोड़		32437.17	311.01	32748.18	27968.67	2300.74	4320.46

स्रोत- विनियोजन लेखा 2009-2010.

(करोड़ रूपए)

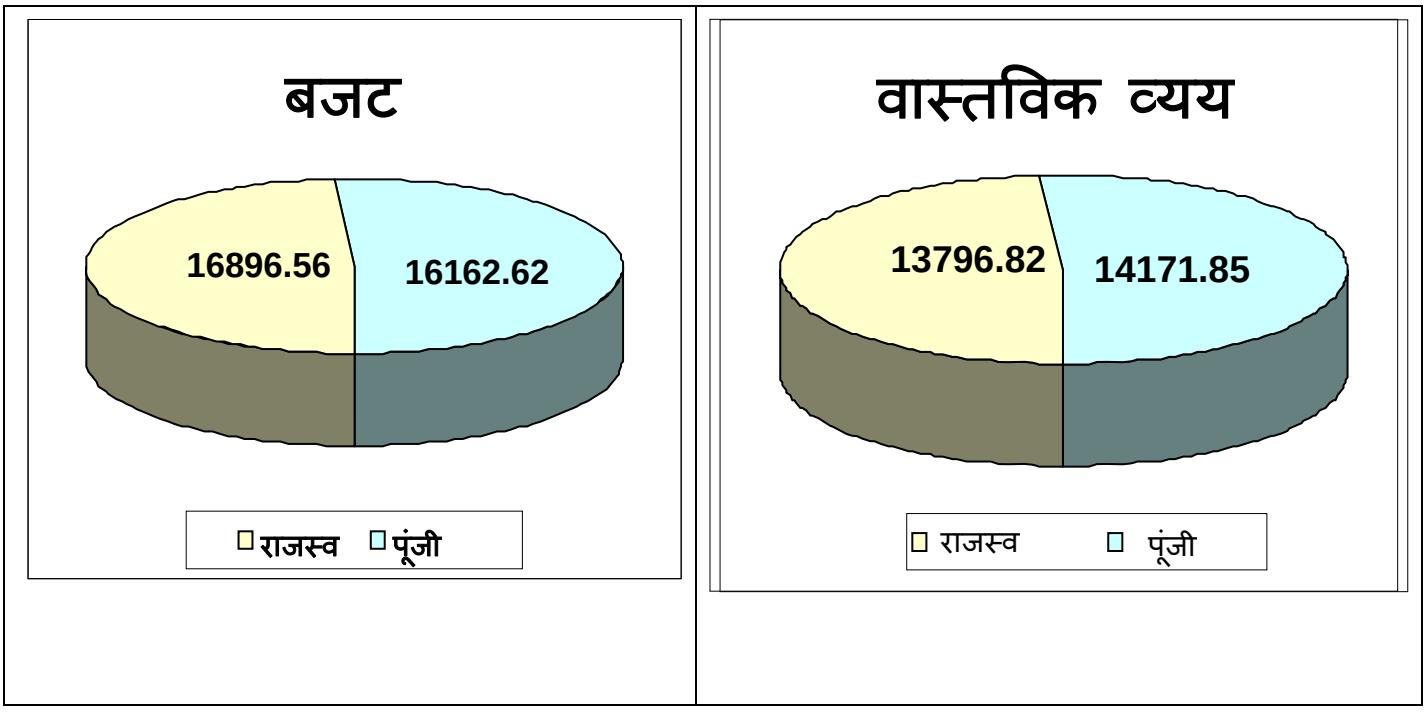

2009-2010 में वास्तविक व्यय का प्रोफाइल

(*करोड़ रूपए*)

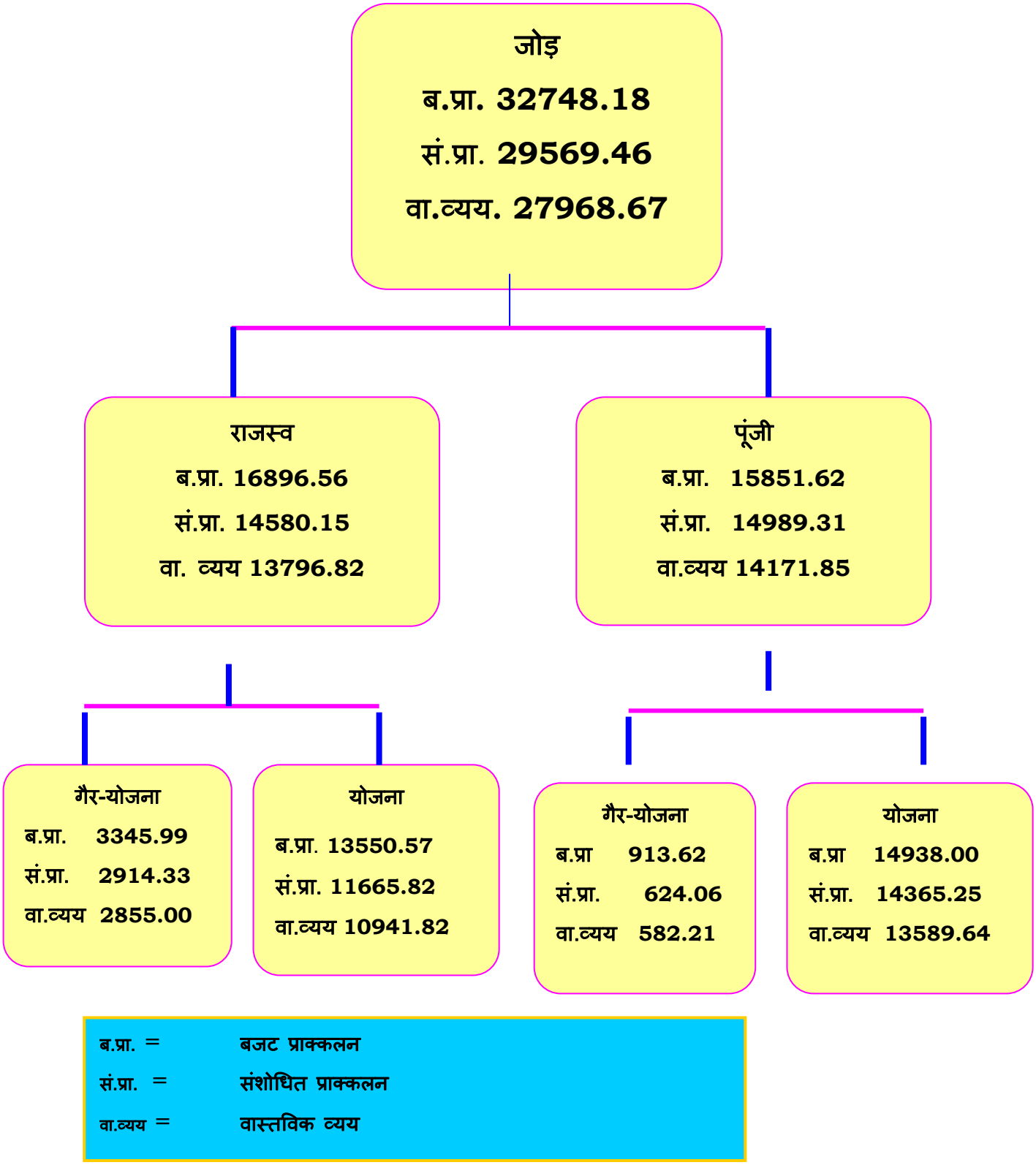

ब.प्रा. =	बजट प्राक्कलन
सं.प्रा. =	संशोधित प्राक्कलन
वा.व्यय =	वास्तविक व्यय

स्रोत: विनियोजन लेखा

अनुलग्नक XIX

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में वर्ष 1998-99 से 2009-2010 तक वर्ष-वार बजट एवं व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट	व्यय
1998-1999	3000.65	2816.42
1999-2000	6738.40	6026.81
2000-2001	11021.36	9580.25
2001-2002	11156.16	10031.58
2002-2003	11913.80	10995.90
2003-2004	12099.74	10991.73
2004-2005	12697.06	10424.47
2005-2006	19226.05	17212.98
2006-2007	23.611.08	22811.04
2007-2008	24848.27	24336.34
2008-2009	27831.63	27255.47
2009-2010	32748.18	27968.67

अनुलग्नक XX

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान निवल व्यय का मासिक प्रवाह

(करोड़ रुपए)

अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव	दिस.	जन.	फर.	मार्च	जोड़
3947.97	326.89	2241.68	604.70	2543.66	2931.07	617.37	3286.94	540.52	2746.71	2075.98	6105.18	**27968.67**

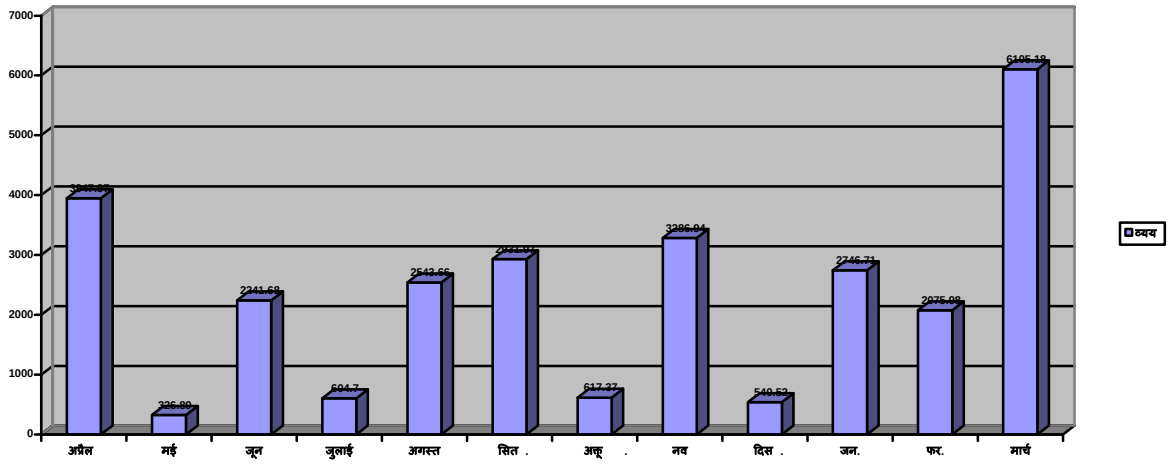

अनुलग्नक XXI

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
वर्ष 2009-2010 के दौरान व्यय का ब्यौरा
राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

विवरण	2007-08			2008-09			2009-2010		
	आयोजना गत	गैर-आयोजना गत	जोड़	आयोजना गत	गैर-आयोजनागत	जोड़	आयोजना गत	गैर-आयोजना गत	जोड़
2049-ब्याज का भुगतान	--	3.31	3.31	-	2.47	2.47	-	3.03	3.03
2071- पेंशन का भुगतान (एम2071)	--	3.26	3.26	-	4.18	4.18	-	4.55	4.55
2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	0.80	0.80	-	1.08	1.08	-	1.29	1.29
2235- सामाजिक. सुरक्षा एवं कल्याण	--	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01
3054-सड़कें एवं पुल	8280.86	1034.41	9315.27	8830.84	1021.12	9851.96	9393.99	1030.80	10424.79
3055- सड़क परिवहन	45.45	--	45.45	119.16	-	119.16	20.55	-	20.55
3451- सचि. आर्थिक सेवाएं	--	28.33	28.33	-	42.04	42.04	-	54.08	54.08
3601- राज्य सरकार को	40.52	--	40.52	40.00	-	40.00	-	-	-

सहायता अनुदान									
3602- ***संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605- ***अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग***	-	-	-	8	-	8	-	-	-
राजस्व व्यय	8366.83	1070.12	9436.95	8990.00	1070.90	10060.90	9414.54	1093.76	10508.30

पूंजीगत व्यय									
विवरण	2007-08			2008-09			2009-2010		
5054- सड़कें एवं पुल	4221.20	--	4221.20	4659.5+1	-	4659.51	5.32	4917.22	4922.54
7075- अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	444.00	--	444.00	379.00	-	379.00	68.00	-	68.00
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण	--	0.29	0.29		0.40	0.40	-	17.32	17.32
पूंजी व्यय	4665.20	0.29	4665.49	5038.51	0.40	5038.91	73.32	4934.54	5007.86
कुल जोड़ (राजस्व+पूंजी)	13032.03	1070.4	14102.44	14028.51	1071.30	15099.81	9487.86	6028.30	15516.16
स्रोत : केन्द्रीय लेन-देनों का विवरण									

अनुलग्नक XXII

निधि प्रवाह विवरण

(*करोड़ रूपए*)

भारत की समेकित निधि		**भारत की समेकित निधि**	
प्राप्तियां		**व्यय**	
राजस्व प्राप्तियां	396.39	राजस्व प्राप्तियां	10583.69
पूंजीगत प्राप्तियां	139.95	पूंजीगत प्राप्तियां	4922.54
ऋण एवं अग्रिम	-	ऋण एवं अग्रिम	68.17
जोड़	**536.34**	**जोड़**	**15574.40**
लोक लेखा		**लोक लेखा**	
भविष्य निधि	13.49	भविष्य निधि	6.23
आरक्षित निधियां	9465.15	आरक्षित निधियां	8943.98
प्रेषण	--	प्रेषण	--
जमा एवं अग्रिम	398.36	जमा एवं अग्रिम	391.35
उचंत एवं विविध	1676.75	उचंत एवं विविध	2264.83
जोड़ (लोक लेखा)	26644.45	**जोड़ (लोक लेखा)**	11606.39
कुल प्राप्तियां	27180.79	**कुल व्यय**	27180.79
स्रोत: केन्द्रीय लेन-देन का विवरण			

अनुलग्नक XXIII

आरक्षित निधि

वर्ष 2009-2010 के अंत में आरक्षित निधि के अंतर्गत अंत शेष, 4477.28 करोड़ रुपए था । गत तीन वर्ष के दौरान अभिवृद्धि की पुनरावृत्ति निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपए)

मद/वर्ष	**2007-08**	**2008-09**	**2009-2010**
आदि शेष	4088.64	4392.70	3956.11
प्राप्तियां	8360.31	8902.24	9465.15
व्यय	8056.13	9338.83	8943.98
अभिवृद्धि	4.18	-436.59	521.17
अंत शेष	4392.82	3956.11	4477.28

अनुलग्नक XXIV

आरक्षित निधि 2009-2010 का संवितरण

(*करोड़ रूपए*)

शीर्ष	आदि शेष	प्राप्तियां	व्यय	अंत शेष
8225 {एनएचपीबीएफएफ}	345.13	75.39	89.95	330.57
8224 {सीआरएफ}	3610.98	9389.76	8854.03	4146.71
कुल आरक्षित निधि	3956.11	9465.15	8943.98	4477.28

अनुलग्नक XXV

राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:

(*करोड़ रूपए*)

1.4.2009 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	345.13
2009-2010 के दौरान प्राप्तियां 2009-2010 के दौरान भुगतान	75.39 89.95
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	330.57

अनुलग्नक XXVI

केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ):

(*करोड़ रूपए*))

1.4.2009 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	3610.98
2009-2010 के दौरान प्राप्तियां	9389.76
2009-2010 के दौरान भुगतान	8854.03
(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता + प्रबंधन व्यय)	--
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	4146.71

अनुलग्नक XXVII

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि (एनएचपीबीएफएफ)/ केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) (2009-2010)

(करोड़ रुपए)

	राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुल शुल्क निधि)	**केन्द्रीय सड़क निधि**
01.04.2009 की स्थिति के अनुसार आदि शेष	345.13	3610.98
वर्ष 2009-2010 के दौरान अभिवृद्धि	-14.56	535.73
जोड़	**330.57**	**4146.71**

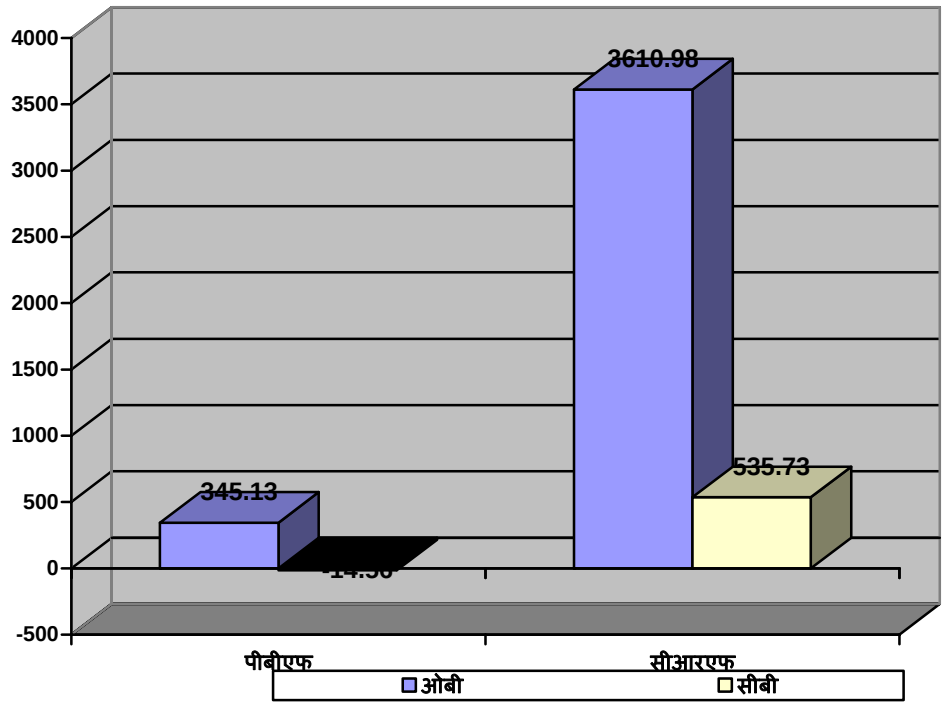

ओबी- आदि शेष सीबी-अंत शेष

अनुलग्नक XXVIII

मुख्य शीर्ष-वार व्यय

(करोड़ रूपए)

लेखा शीर्ष	ब.प्रा. 2010.11	अक्टूबर, 2010 तक व्यय	% **(ब.प्रा.)**
योजना शीर्ष			
मु.शी. 2552 पूर्वोत्तर क्षेत्र			
मु.शी. 3054 सड़कें एवं पुल	11594.74	5788.64	49.92
मु.शी. 3055-सड़क परिवहन	300.00	26.99	9.00
मु.शी.3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2139.92	1105.64	51.67

मु.शी.3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	78.16	54.89	70.23
कुल राजस्व भाग	14112.82	6976.15	49.43
मु.शी. 4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी पूंजीगत परिव्यय	0	0	0
मु.शी. 5054 सड़क एवं पुल संबंधी पूंजीगत परिव्यय	17397.08	6722.89	38.64
मु.शी. 7075- अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण	80.00	40.00	50.00
कुल पूंजी भाग	17477.08	6762.89	38.70
कुल योजना शीर्ष (सकल)	31589.90	13739.04	43.49
वसूलियां घटाएं (आयोजना)	-11696.15	-5110.66	43.70
कुल आयोजना (निवल)	19893.75	8628.38	43.37
मु.शी. - 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	331.97	156.15	47.04
मु.शी. 3054 सड़कें एवं पुल	1645.75	598.33	36.36
मु.शी.3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान **(*)**	0.00	17.69	0
कुल राजस्व भाग	1977.72	772.17	39.04
मु.शी.5054 सड़क एवं पुल संबंधी पूंजी परिव्यय **(*)**	2357.68	861.21	36.53
कुल पूंजीगत भाग	2357.68	861.21	36.53
कुल गैर-आयोजना (सकल)	4335.40	1633.38	37.68
वसूलियां घटाएं (गैर-आयोजना)	-150.50	-37.95	25.21
कुल गैर-आयोजना (निवल)	4184.90	1595.44	38.12
जोड़ (आयोजना+गैर-आयोजना)	35925.30	15372.42	42.79
वसूलियां घटाएं (आयोजना+गैर-आयोजना)	-11846.65	-5148.61	43.46
जोड़ (आयोजना+गैर-आयोजना) निवल	24078.65	10223.82	42.46
(*) **अक्टूबर, 2010 तक बीआरडीबी के व्यय से संबंधित**			

अनुलग्नक XXIX

बजट प्राक्कलन 2010-11 और वास्तविक व्यय

(अनुदान सं. 80) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

	2010-11			2009-10		
विवरण	**ब.प्रा. 2010-11**	**व्यय 10/2010**	**ब.प्रा. का %**	**ब.प्रा. 2009-10**	**व्यय 11/2009**	**ब.प्रा. का %**
आयोजना व्यय						
राजस्व	14112.82	6976.15	49.43	13550.57	9031.45	66.65
पूंजी	17477.08	6762.89	38.70	14938.00	7468.83	50.00
कुल आयोजना (सकल)	31589.90	13739.04	43.70	28488.57	16500.28	57.92
वसूलियां घटाएं	-11696.15	-5110.66	43.70	-10968.51	5150.0 -5150.06	46.95
निवल आयोजना व्यय	19893.75	8628.38	43.37	17520.06	11350.22	64.78
गैर-योजना व्यय						
राजस्व	1977.72	772.17	39.04	3345.99	1234.31	36.89
पूंजी	2357.68	861.21	36.53	913.62	252.26	27.61
कुल गैर-आयोजना (सकल)	4335.40	1633.38	37.68	4259.61	1486.57	34.90
वसूलियां घटाएं	-150.50	-37.95	25.21	-144.61	-37.14	25.68
निवल गैर-आयोजना	4184.90	1595.44	38.12	4115.00	1449.43	35.22
कुल राजस्व	16090.54	7748.32	48.15	16896.56	10265.76	60.76
कुल पूंजी	19834.76	7624.10	38.44	15851.62	7721.08	48.71
कुल अनुदान सं. 80 (सकल)	35925.30	15372.42	42.79	32748.18	17986.85	54.92
वसूलियां घटाएं	-11846.65	-5148.61	43.46	-11113.12	-5187.20	46.68
कुल अनुदान सं. 80 (निवल)	24078.65	10223.82*	42.46	21635.06	12799.65	59.16

* **अक्टूबर, 2010 तक बीआरडीबी का व्यय**

अनुलग्नक XXX

राष्ट्रीय परमिट के लिए नए समेकित शुल्क के ई-संग्रहण, सूचना देने और लेखाकरण के लिए संशोधित लेखाकरण प्रक्रिया का प्रारूप

1. पृष्ठभूमि

1.1 मोटरयान अधिनियम, 1988 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, माल वाहकों को राष्ट्रीय परमिट, संपूर्ण भारत अथवा गृह राज्य (वह राज्य जिसमें वाहन पंजीकृत है) सहित कम से कम चार संस्पर्शी राज्यों में संबंधित राज्यों को मिश्रित कर का भुगतान किए जाने की शर्त पर प्रचालन के लिए जारी किया जाता है । मिश्रित कर की दर राज्यों द्वारा अपने संबंधित राज्य के कराधान कानूनों के अंतर्गत 5000/- रु. अथवा 3000/- रु. प्रति वर्ष (प्रत्येक राज्य के लिए) निर्धारित की गई थी । गृह राज्य जो राष्ट्रीय परमिट प्रदान करता है, अन्य राज्यों की ओर से मिश्रित कर के लिए डिमांड ड्राफ्ट एकत्र करता है और उन्हें संबंधित राज्यों को पंजीकृत डाक से भेजता है । विद्यमान प्रणाली में मिश्रित कर के प्रेषण में विलंब, विभिन्न चरणों पर अपनाई जा रही दोषपूर्ण पद्धतियां आदि माल वाहनों के देश में निर्बाध आवागमन के लिए बड़ी अड़चनें बन गई हैं ।

1.2 ट्रांसपोर्टरों की यह मांग रही थी कि उन्हें समेकित शुल्क के रूप में वार्षिक रूप से एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर राष्ट्रीय परमिट के आधार पर संपूर्ण देश में चलने के लिए अनुमति प्रदान की जाए ।

1.3 राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और परिवहन विकास परिषद द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया है । अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ट्रांसपोर्टरों को समेकित शुल्क के रूप में 15000/- रु. प्रति वर्ष प्रति वाहन का भुगतान करना होगा । इस शुल्क का संग्रहण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और इसका संवितरण, केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2010 में निर्धारित सूत्र के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाएगा । केन्द्र सरकार को कोई धनराशि नहीं मिलेगी ।

1.4 पहले अनुमोदित की गई लेखाकरण प्रक्रिया, नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को दिनांक 8.5.2010 से क्रियान्वित किए जाने की तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार की गई थी । अनुमोदित लेखाकरण प्रक्रिया के अंतर्गत समेकित शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की 415 पदनामित शाखाओं में नकद अथवा डिमांड

ड्राफ्ट द्वारा करने की अनुमति प्रदान की गई थी । परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण के लिए अधिकतर एक ही कार्यरत/संग्रहणकर्ता शाखा होती है । भुगतान स्थिति का सत्यापन, कार्यरत शाखा से स्क्रॉल को तदनुरूप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तक भौतिक रूप से ले जाकर सुनिश्चित किया जाता है । भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, मुख्य शाखा समेकित स्क्रॉल को भुगतान एवं लेखाधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के लिए केन्द्रीय शाखा थी । चूंकि इस प्रक्रिया में स्क्रॉल का वास्तविक संचलन होता है, इसलिए 415 शाखाओं से स्क्रॉल प्राप्त करने और बाद में, भारतीय स्टेट बैंक की केन्द्रीय शाखा द्वारा तत्संबंधी स्क्रॉल भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जाने में काफी महत्वपूर्ण समय का अपव्यय हो जाता है । इसके परिणामस्वरूप पुनर्मेल तथा अन्य जांच एवं शेष कार्रवाई में कठिनाईयां भी उत्पन्न होती थी । अब एकमात्र यही विकल्प बचा है कि राष्ट्रीय परमिट संबंधी समेकित शुल्क का संग्रहण करने की इलेक्ट्रॉनिक विधि शीघ्र अति शीघ्र अपनाई जाए । एनआईसी ने पहले ही एक राष्ट्रीय परमिट पोर्टल विकसित कर लिया है और भारतीय स्टेट बैंक को उस सिस्टम से जुड़ने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है और इसलिए राष्ट्रीय परमिट आधार संबंधी समेकित शुल्क के संग्रहण की इलेक्ट्रॉनिक विधि (ई-संग्रहण) के लिए संशोधित लेखाकरण प्रक्रिया तैयार किए जाने की आवश्यकता है ।

1.5 राष्ट्रीय परमिट पर समेकित शुल्क के संबंध में सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा ई-संग्रहण और संवितरण के लिए राष्ट्रीय परमिट वेब पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित लेखाकरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

2. <u>ट्रांसपोर्टर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

2.1 राष्ट्रीय परमिट को प्राप्त करने का इच्छुक ट्रांसपोर्टर समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित फार्म में राष्ट्रीय परमिट प्रदान किए जाने/नवीकरण किए जाने के लिए प्रत्येक वाहन के लिए अपना आवेदन अलग से अपने गृह राज्य में संबंधित परिवहन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार गृह राज्य प्राधिकार शुल्क के रूप में 1000/- रु. की धनराशि का भुगतान करेगा ।

2.2 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय परमिट वेब पोर्टल (https://vahan.nic.in/npermit) में कतिपय ब्यौरा अपलोड कर दिए जाने के पश्चात् ट्रांसपोर्टर, 15000/- रु. के राष्ट्रीय परमिट शुल्क का भुगतान करने के लिए कार्रवाई करने हेतु वेब पोर्टल तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा । समेकित शुल्क के

भुगतान के लिए केवल दो विकल्पों अर्थात् क) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा ख) नकद द्वारा, की ही अनुमति होगी ।

i) यदि भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है, तो सिस्टम राष्ट्रीय परमिट के लिए जमा किए गए समेकित शुल्क के लिए रीयल टाइम आधार पर भुगतान स्थिति को अद्यतन तथा उसकी पुष्टि प्रत्यक्ष रूप से कर देगा । सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पावती भी सृजित करेगा ।

ii) यदि भुगतान नकद किया जाता है, तो स्वयं के द्वारा भरे गए चालान की तीन प्रतियां (जिनमें राष्ट्रीय परमिट से संबंधित सभी अत्यंत महत्वपूर्ण मानदंड दिए गए हों) एक अद्वितीय लेन-देन पहचान संख्या के साथ सृजित की जाएंगी । ट्रांसपोर्टर भरे गए चालान की मुद्रित प्रति प्राप्त करेगा और उसे भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मुद्रित चालान की तीन प्रतियां जमा करेगा और पावती चालान की दो मुहर लगी प्रतियां प्राप्त करेगा । नकद भुगतान की वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक पुष्टि, भारतीय स्टेट बैंक अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा टी+1 दिन आधार पर अपलोड कर दी जाएगी ।

2.3 निर्धारित अवधि के अंदर बैंक द्वारा भुगतान स्थिति को अपलोड कर देने के पश्चात्, ट्रांसपोर्टर चालान की प्रति के साथ (जिस पर बैंक की विधिवत् मुहर लगी हो) जिसके माध्यम से समेकित शुल्क (15000/- रु.) का भुगतान किया गया था, अथवा ऑन लाइन समेकित शुल्क की ई-पावती, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाने के लिए संबंधित परिवहन प्राधिकारी से संपर्क करेगा ।

2.4 प्रत्येक वाहन के लिए, जिसके संबंध में राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाने/नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन किया जा रहा है, चालान/इलेक्ट्रॉनिक पावती का पृथक-पृथक सेट प्रस्तुत करना होगा ।

3. <u>संग्रहणकर्ता शाखा (प्रत्यायित) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई</u>

3.1 यदि भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया है, तो सिस्टम भुगतान स्थिति को अद्यतन और पुष्टि स्वत: ही कर देगा और एक ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक पावती का सृजन कर देगा । तथापि, यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा नकद भुगतान किया जाता है, तो समेकित शुल्क का संग्रहण भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा अथवा संपूर्ण देश में इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नकद किया जाएगा । समेकित शुल्क नकद प्राप्त होने पर, संग्रहणकर्ता शाखा,

भारतीय स्टेट बैंक अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीबीएस सिस्टम के माध्यम से संगत लेखा जिसे प्रचालन राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित आय के संबंध में लेखाकरण/सूचना देने आदि के लिए केन्द्रीय शाखा द्वारा प्रचालित किया जा रहा है, में जमा कर दिया जाएगा ।

3.2 संग्रहणकर्ता बैंक, ट्रांसपोर्टर से नकद स्वीकार करेगा और चालान की स्वयं के द्वारा भरी गई तीनों प्रतियों, जिस पर धनराशि की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है, पर मुहर लगाएगा और ट्रांसपोर्टर को दो प्रतियां वापस करेगा ।

4. **केन्द्रीय शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई**

4.1 चूंकि समेकित शुल्क नकद रूप में भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा अथवा संपूर्ण देश में इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सीबीएस प्रणाली के माध्यम से जमा किया जा सकता है, इसलिए कार्यरत शाखा और केन्द्रीय शाखा वही रहेगी यानि भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ।

4.2 भारतीय स्टेट बैंक (संसद मार्ग, नई दिल्ली) की केन्द्रीय शाखा अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, एनआईसी के राष्ट्रीय परमिट वेब पोर्टल पर भुगतान की स्थिति को प्रतिदिन अपलोड करेगा । इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन की भुगतान स्थिति को रीयल टाइम आधार पर अपलोड किया जाएगा जबकि नकद लेन-देन के मामले में भुगतान स्थिति अगले कार्य दिवस को 1400 बजे टी +1 आधार पर अपलोड की जाएगी ।

4.3 केन्द्रीय शाखा, एमआईएस उपलब्ध कराएगी जिसमें राष्ट्रीय परमिट की अद्वितीय पहचान संख्या, तारीख, राशि, शाखा कोड, भुगतान की विधि, वाहन की पंजीकृत संख्या, स्वामी के ब्यौरे का उल्लेख होगा, उपलब्ध कराएगा और उसे राष्ट्रीय परमिट पोर्टल पर टी +1 आधार पर अर्थात् अगले कार्य दिवस को 1400 बजे अपलोड करेगी ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय शाखा, मुख्य स्क्रॉल की एक प्रति उपलब्ध कराएगी जिसमें राष्ट्रीय परमिट की अद्वितीय पहचान संख्या, वाहन स्वामी का नाम, लेन-देनों का संग्रहणकर्ता शाखा-वार ब्यौरा (जिसमें वाहन के स्वामी का ब्यौरा, पता, वाहन की पंजीकरण संख्या आदि हो), उल्लिखित होगा और उसे बैंक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अग्रेषित करेगी । ट्रासंपोर्टरों द्वारा

संग्रहणकर्ता शाखा को प्रस्तुत किए गए चालान के साथ पदनामित भुगतान एवं लेखा कार्यालय को स्क्रॉल भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

4.4 केन्द्रीय शाखा, समय-समय पर यथासंशोधित सीजीए (जैसाकि भारतीय स्टेट बैंक पर लागू है) अथवा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'विभागीयकृत मंत्रालयों के लेन-देनों की सूचना देने एवं लेखाकरण की प्रक्रिया' में यथानिर्धारित सरकारी लेन-देनों की सूचना देने की सामान्य प्रक्रिया का पालन करेगी ।

4.5 केन्द्रीय शाखा, सीजीए द्वारा यथानिर्धारित स्वीकार्य सीमा अर्थात् टी+1 कार्य दिवस (दिनांक लिखे जाने की तारीख के दिन को छोड़कर) के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर को समेकित शुल्क का ई-संग्रहण प्रेषित करेगी ।

5. पदनामित सड़क परिवहन कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

5.1 राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाने के लिए ट्रांसपोर्टर से आवेदन प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कुछ तथ्यों अर्थात् क) उपयुक्तता की वैधता, ख) प्रवर्तन का ब्यौरा, ग) बीमा स्थिति, घ) कर की स्थिति, ड.) स्वामी का ब्यौरा आदि का सत्यापन करेगा और यदि वे सही पाए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर को तदनुसार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में चल रही कार्यशील विद्यमान प्रक्रिया के माध्यम से गृह राज्य प्राधिकार शुल्क के रूप में 1000/- रु. की धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी ।

5.2 सभी निर्धारित जांच किए जाने और ट्रांसपोर्टर के आवेदन का सत्यापन किए जाने के पश्चात्, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राष्ट्रीय परमिट वेब पोर्टल पर कतिपय ब्यौरा अपलोड करेगा जिसके पश्चात् ट्रांसपोर्टर, वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक चालान सृजित करने में सक्षम हो जाएगा । क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भुगतान करने के लिए ट्रांसपोर्टर को राष्ट्रीय परमिट वेब पोर्टल पर जाने की सलाह देगा ।

5.3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राष्ट्रीय परमिट पोर्टल पर अद्वितीय लेन-देन पहचान संख्या के माध्यम से 15000/- रु. के राष्ट्रीय परमिट शुल्क की भुगतान स्थिति की पुष्टि करने के पश्चात्, लेखन सामग्री के प्रतिभूत कागज जिस पर जारी कर्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का होलोग्राम हो, राष्ट्रीय परमिट दस्तावेज जारी किए जाने अथवा नवीकरण किए जाने पर विचार करेगा और उसे ट्रांसपोर्टर को जारी करेगा । राष्ट्रीय परमिट की वैधता की गणना करने के लिए प्राधिकार की तारीख, संदर्भ तारीख होगी ।

5.4 संबंधित परिवहन प्राधिकारी, जारी किए गए अथवा नवीकृत किए गए परमिटों की संख्या से संबंधित ब्यौरा मासिक आधार पर संकलित करेगा और उसे राज्य परिवहन आयुक्त/प्रधान सचिव (परिवहन) को आगामी माह की 2 तारीख तक भेजेगा । राज्य परिवहन आयुक्त/प्रधान सचिव (परिवहन), राज्य-वार सूचना संकलित करने के पश्चात्, उसे ई-मेल के माध्यम से मंत्रालय को dirrt@nic.in पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजेगा ।

6. पदनामित भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

6.1 केन्द्रीय शाखा से स्क्रॉल रसीद प्राप्त होने के पश्चात्, भुगतान एवं लेखा कार्यालय निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अंतर्गत रसीदों (दैनिक स्क्रॉल के अनुसार) को लेखाबद्ध करेगा:

डेबिट मुख्य शीर्ष- 8658 - उचंत खाता

लघु शीर्ष - 108 - पीएसबी उचंत खाता

क्रेडिट मुख्य शीर्ष -8449 - अन्य जमा

लघु शीर्ष -121 - राष्ट्रीय परमिट खाता (नया लघु शीर्ष)

उप शीर्ष 01 - माल परिवहन वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट

भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर से पुट थ्रू विवरण प्राप्त होने के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां, खातों में की जाएंगी:-

(-) डेबिट मुख्य शीर्ष- 8658 - उचंत खाता

लघु शीर्ष - 108 - पीएसबी उचंत खाता

डेबिट मुख्य शीर्ष -8675 - भारतीय रिजर्व बैंक में जमा

लघु शीर्ष -101 - केन्द्रीय-सिविल

6.2 भुगतान एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय शाखा की दैनिक स्क्रॉल सूचना का सत्यापन करेगा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित प्रेषित धन के साथ पुन: मिलान भी करेगा ।

6.3 भुगतान एवं लेखाधिकारी किसी भी खाते के मामले में एनआईसी के वेब पोर्टल के माध्यम से वाहन का डाटा भी सत्यापित करेगा ।

6.4 भुगतान एवं लेखाकार्यालय, राष्ट्रीय परमिट से संबंधित समेकित शुल्क के संग्रहण का मासिक विवरण, निदेशक (सड़क परिवहन) को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करेगा ताकि राज्यों का उचित हिस्सा जारी किया जाना सुकर हो सके ।

7. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग के दायित्व

7.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग का पदनामित अधिकारी, राष्ट्रीय परमिट संबंधी समेकित शुल्क की मासिक प्राप्तियों, विभिन्न राज्यों को राज्यों के हिस्से के वितरण का उल्लेख करने के लिए रिकार्ड रखेगा ।

7.2 यह प्रभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय उल्लिखित खाते के शीर्ष में शेष ऋणात्मक न हो ।

7.3 यह प्रभाग, मंत्रालय द्वारा दिनांक 4.5.2010 के का. आ.सं. 838 के तहत अधिसूचित सूत्र के अनुसार भुगतान एवं लेखा कार्यालय से प्राप्त विवरण के अनुसार प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक मासिक आधार पर समेकित शुल्क का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा जारी किए जाने पर कार्रवाई करेगा । संस्वीकृति आदेश, मंत्रालय में आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से जारी किया जाएगा और प्रधान लेखा कार्यालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा जिसकी प्रति वित्त सचिवों, परिवहन/गृह सचिवों, संबंधित राज्यों के राज्य महालेखाकार को धनराशि के अंतरण हेतु भेजे जाएंगे ।

8. राज्यों को भुगतान

8.1 राष्ट्रीय परमिट संबंधी समेकित शुल्क का राज्यों को भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

8.2 उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग परिचालन है

सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात्, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय, केन्द्रीय सरकार के जमा शेष को डेबिट करके संबंधित राज्य सरकार के खातों को क्रेडिट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर को अंतर-सरकारी परामर्श जारी करेगा । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खातों में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी:

डेबिट मुख्य शीर्ष - 8449 - अन्य जमा

लघु शीर्ष -121 - राष्ट्रीय परमिट खाता

उप शीर्ष 01 - माल परिवहन वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट

क्रेडिट मुख्य शीर्ष - 8658 - उचंत खाता

लघु शीर्ष -110 - रिजर्व बैंक उचंत (सीएओ)

भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर से समाशोधन ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् निम्नलिखित समायोजन किए जाएंगे:

(ऋणात्मक क्रेडिट)

मुख्य शीर्ष - 8658 - उचंत खाता -110 -रिजर्व बैंक उचंत

क्रेडिट मुख्य शीर्ष -8675 - रिजर्व बैंक में जमा-101-सेंट्रल-सिविल

8.3 **उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग परिचालन नहीं है**

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में जिनका भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर में खाता नहीं है, प्रधान लेखा कार्यालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग), मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में पदनामित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से बिल प्राप्त होने पर चेक/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था करेगा ।

8.4 उपर्युक्त पैरा 8.1 और 8.2 में यथा उल्लिखित कोई भी भुगतान करने से पहले प्रधान लेखा कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उप शीर्ष- 'माल परिवहन वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट' के अंतर्गत जमा शेष, ऋणात्मक शेष न बन जाए ।

9. **राष्ट्रीय परमिट लेखा की लेखा परीक्षा**

9.1 राष्ट्रीय परमिट और राज्यों के हिस्से के संवितरण से संबंधित धनराशि के संग्रहण संबंधी रिकार्ड अर्थात् प्राप्तियों एवं भुगतानों का आंकड़ा-वार/माह-वार ब्यौरा संकलित करने हेतु रजिस्ट्रर/ब्रॉडशीट, आरबीआई एडवाइस रजिस्टर, टीई रजिस्टर, बिल रजिस्टर (**भुगतान एवं लेखा कार्यालय-सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा**), जारी/नवीकृत किए गए राष्ट्रीय परमिटों, मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले समेकित शुल्क का मासिक संग्रहण एवं संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा पक्ष द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगा ।

अनुलग्नक I

राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के भुगतान हेतु चालान
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने के लिए)

भारतीय स्टेट बैंक ..... शाखा

वाहन के स्वामी का नाम	
पता	
वाहन की पंजीकरण संख्या	
राष्ट्रीय परमिट जारी करने वाले सड़क परिवहन प्राधिकरण का नाम	
लेखा शीर्ष	8449-अन्य जमा 121- राष्ट्रीय परमिट खाता 01-माल परिवहन वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट
लेखा अधिकारी जिसके द्वारा समायोजन किया जाना है	भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली
भुगतान की विधि	नकद/डिमांड ड्राफ्ट
धनराशि	15000/- रु. (पंद्रह हजार रु. मात्र)
यदि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया है	-----
बैंक/शाखा का नाम जिस पर डिमांड ड्राफ्ट आहरित किया गया है	
भारतीय स्टेट बैंक की शाखा जो प्राप्तियों की समेकित राशि की सूचना देगी	भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

बैंक के प्रयोग हेतु

बैंक की लेन-देन संख्या

दिनांक ..... को 15000/- रु. (पंद्रह हजार रु. मात्र) का भुगतान प्राप्त हुआ

दि	दि	म	म	व	व	व	व

प्राप्तकर्ता शाखा के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर